

अध्याय १

कैसे आवेदन सहि ढंग से भरे

अध्याय २

सामान्य मुद्दों

- २.१ कानूनी आधार
- २.२ पोलिश क्षेत्र पर विदेशियों की निवास के शर्तें
- २.३ आवेदन, दस्तावेज, स्पष्टीकरण, घोषणाओं के लिए आवश्यकताएँ
- २.४ समय सीमा
- २.५ मुख्तारनामा
- २.६ पत्राचार डिलिवरी
- २.७ विदेशों में प्रस्थान के मामले में डिलिवरी पहुंचाना
- २.८ कार्यकाल की आवश्यकता
- २.९ केश के कृत्योंके साथ मिल रहि ज्ञान
- २.१० स्टॉप शुल्क

अध्याय ३

विजा विस्तार

- ३.१ मैजिस्ट्रेट के निर्णय मुद्दा
- ३.२ नेटिव/दिशी विजा विस्तार
- ३.३ शेनगेन विजा विस्तार
- ३.४ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा
- ३.५ निर्णय
- ३.६ दस्तावेज

अध्याय ४

निर्धारित अवधि के निवास के लिए परमिट

- ४.१ हालात या परिस्थितियां जिसके आधार पर निर्धारित अवधि के लिए निवास की परमिट दिया जाएगा
- ४.२ पोलिश क्षेत्र पर अवैध रूपसे रहने के समय पर दिया गया निर्धारित अवधि के निवास परमिट

- ४.३ आवेदन पत्र के लिए पूरक आवश्यकताओं
- ४.४ आवेदन पत्र पर मजिस्ट्रेट का विचार
- ४.५ दशतावेज
- ४.६ परिवारके सदस्य
- ४.७ निर्धारित अबधि के निवास के परमिट प्रदान करने की अबधि
- ४.८ बिचार के विना आवेदन पत्रको छोडना
- ४.९ निर्धारित अबधि के निवास के परमिट देने से इनकार
- ४.१० निर्धारित अबधि के निवास के परमिट वापस लेना
- ४.११ विदेश में रहेनेकी समय में निर्धारित अबधि के निवास के परमिट प्रदान करने की निवेदन देना

अध्याय ५

सेटलमेंट परमिट

- ५.१ मैजिस्ट्रेट के निर्णय मुद्दा
- ५.२ निरंतर निवास की आवश्यकता—निवास में ब्रेक करनेका बजह
- ५.३ दशतावेज
- ५.४ आवेदन पत्र के लिए पूरक आवश्यकताओं
- ५.५ बिचार के विना आवेदन पत्रको छोडना
- ५.६ सेटलमेंट परमिट देने से इनकार
- ५.७ सेटलमेंट परमिटको वापस लेना
- ५.८ सेटलमेंट परमिट प्रदान करने की अबधि

अध्याय ६

यूरोपीय समुदाय के नागरिक की लंबि अबधि के निवास के परमिट

- ६.१ मैजिस्ट्रेट के निर्णय मुद्दों
- ६.२ दशतावेज
- ६.३ आवेदन पत्र के लिए पूरक आवश्यकताओं
- ६.४ बिचार के बिना आवेदन छोडना
- ६.५ व्यक्तियों जिसे यूरोपीय समुदाय के नागरिक की लंबि अबधि के निवास के परमिट नहि प्राप्त कर सकते हैं
- ६.६ कानूनी रूपसे निरंतर ५ वर्षों की निवास की आवश्यकताएँ

- ६.७ निरंतर निवास की आवश्यकता—निवास में ब्रेक करनेका बजह
- ६.८ यूरोपीय समुदाय के नागरिक की लंबि अबधि के निवास के परमिट देने से इनकार
- ६.९ यूरोपीय समुदाय के नागरिक की लंबि अबधि के निवास के परमिट वापस लेना
- ६.१० बार—बार यूरोपीय समुदाय के नागरिक की लंबि अबधि के निवास के परमिट प्राप्त करना
- ६.११ यूरोपीय समुदाय के नागरिक की लंबि अबधि के निवास के परमिट प्रदान करने की अवधि

अध्याय ७

विदेशी निवास कार्ड (कार्ता पोबितु) को बदलना

- ७.१ मुख्य सूचना
- ७.२ विदेशी निवास कार्ड बदलना
- ७.३ विदेशी निवास कार्ड बदलने के लिए मजिस्ट्रेट
- ७.४ विदेशी निवास कार्डको खो देना
- ७.५ विदेशी निवास कार्ड से यात्रा

अध्याय ८

पुनः अपील प्रकृया

- ८.१ समय से विफलता
- ८.२ केश फाइल के कृत्यों के साथ मिल रहि ज्ञान
- ८.३ आवेदन, दस्तावेज, स्पष्टीकरण, घोषणाओं को पेश करने की शैली
- ८.४ शिकायत

कैसे आवेदन पत्र सहि ढंग से भरे

वैध निवास परमिट प्रदान करनेकी आवेदनपत्र भरते समय याद रखना चाहिए

- सहि ढंगसे पोलिश भाषामे भरना चाहिए
- आवेदनके सभि आवश्यक अनुभागको तथ्योंके अनुसार भरना चाहिए
- प्रासंगिक बक्से मे बडा अक्षरो से भरना चाहिए
- अगर अतीत मे आपने अन्य व्यक्तिगत डेटा दिया है तो आपके समर्थन मे इस तथ्य के बारेमे सूचित करना होगा
- अपने रहेने के सहि पता दे, जहा कारेसपोन्डेसन प्राप्त हो जाएगा:
- आपराधिक कहानी के हिस्से मे सभि प्रतिबद्धता, लंबित आपराधिक कार्यवाही या उल्लंघन मामलो में कार्यवाही की जानकारी देना होगा
- यदि सभि प्रतिबद्धता के बारे मे अनिश्चितता की स्थिति मे कार्यवाही जो प्रगतिमे हैं उसे दिखाना चाहिए (ध्यान दें : जुर्माना के भुगतान इसका मतलब यह नहीं है की कोई आपराधिक कार्यवाही शुरु की गई और कोइ सजां पारित किया गया है)
- स्टाम्प शूल्क के भुगतान का सबुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा
- उचित प्रारूप में ले लिया तश्वीरें आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाए
- आवेदन पत्र के तहत हस्ताक्षर करना होगा और लैटिन वर्णमाला उपयोग कर अपना पूरा नाम लिखें
- परिवार के साथ कनेक्ट करने के लिए निर्धारित अवधिके रेजिडेंसी परमिट का आवेदन पत्र उस व्यक्तिसे भरना चाहिए जो पोलिश क्षेत्र पर निवास कर रहा हो । (Article 53 paragraph 1 point 7 Act of Foreigners) लेकिन अगर कम उम्रके बच्चेके लिए परमिट पाना हो तो उन सभि लोगों जो बच्चेकी देखभाल कर रहे हो उनकी भी सहमति होना जरूरी है ।
- मान्य यात्रा दस्तावेज दिखाना होगा, विशेष रूपसे यदि विदेशीके पास मान्य यात्रा दस्तावेज नहि है और अगर इसे प्राप्त करना संभव नहि है तो विदेशी किसी अन्य दस्तावेज पेश कर सकते हैं जिसे उसकी पहचान की पुष्टि हो सकता है
- आवेदन पत्र में शामिल जानकारी के पुष्टि के लिए और तेजी से मामलेको आगे वढाने के लिए आप किसि भि किसिमका दस्तावेजों को इस आवेदन पत्रके साथ संलग्न कर सकते है
- दुविधा कें स्थिती में - मददके लिए क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारीयोंसे पूछें

अध्याय २

सामान्य मुद्दों

२.१ कानूनी आधार

- Act of 13 June about foreigners (final version of Journal of Laws of 2006. No 234, item 1694 बाद में बदल के साथ)
- Act of 14th June 1960-Code of Administrative procedure (Journal of laws of 2000, No. 98, item 1071, with later change).
- Regulation of European Parliament and Council (European Community) No. 810/2009 from 13 July 2009, establishes Community Code of Visa (Official Journal of the European Union series L 243 from 15 September 2008, page no. 1)

२.२ पॉलिश क्षेत्र पर विदेशियों के निवास की शर्तों

विदेशियों को पॉलिश क्षेत्र पर निवास करने की इजाजत है अगर उनके पास है तो :

- १) वैध यात्रा दस्तावेज
- २) वैध वीजा और जरूरत पड़ने पर अन्य वैध दस्तावेज जो इस क्षेत्र पर प्रवेश और निवास करने के लिए साबित करता है ।
- ३) अन्य देश में प्रवेश करने के लिए और निवास करने के लिए परमिट और इस प्रकार के परमिट ट्रांजिट के स्थिति में आवश्यकता है ।

विदेशियों की निवास कार्ड और वैध यात्रा दस्तावेज के साथ शेनगेन क्षेत्र (और पॉलिश क्षेत्र) के आंतरिक व्यापक पार की सामान्य शर्तों के अनुसार ६ महिने की अवधि के दौरान ३ महिने से अनधिक अवधि के लिए किसी भी शेनगेन देशों से दीया गया देशी वीजा और निवास परमिट से शेनगेन क्षेत्र में वीजा के बिना यात्रा और निवास कर सकते हैं, **पौलैंड की स्थिति में-विदेशी निवास कार्ड** से शेनगेन क्षेत्र पर प्रवेश और निवास करने के लिए सामान्य शर्तों को पूरा कर पाता है अगर :

- विदेशियों के पास वैध यात्रा दस्तावेज होना चाहिए
- रहने के **योजनाके वारेमें औचित्य साबित** कर सकते हैं
- रहने के लिए **प्राप्त अधिकारी और कानूनी तौर पर क्षमता** दिखाना होगा
- वह सार्वजनिक व्यवस्थाके लिए खतरा, आन्तरिक सुरक्षा, पब्लिक स्वास्थ्य और अन्तराष्ट्रिय किसी भी सदस्य राज्यों के साथ सम्बन्ध के लिए खतरा न होने पर

सेनेगन देशों के लिए : अष्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, ग्रीस, स्पैन, लक्जमबर्ग, नेदरल्याण्ड, जर्मनी, स्वीडेन, इटाली, ईस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, माल्टा, पोल्याण्ड, द चेख रिपब्लिक, स्लोभाकीया, स्लोभानिया, हंगेरी और नर्वे, आइसल्याण्ड और स्वीजरल्याण्ड भी है ।

ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, साइप्रस, बुल्गारिया और रूमनिया पर जोर दिया जाना चाहिए कि यूरोपिय संघ में है शेनेगन क्षेत्र में नहीं है ।

२.३ आवेदन, दस्तावेज, स्पष्टीकरण, घोषणाओं के लिए आवश्यकताएँ

विदेशियोंको पॉलिश क्षेत्र पर रहने के वैधिकरण से संबन्धित मामलो में आवेदन और दस्तावेज के साथ याचिकाओं इस तरह होना चाहिए:

- पॉलिश भाषामें लिखा होना चाहिए ।
- मूल प्रति या आधिकारिक तौर पर सत्य प्रतिलिपि के रूपमें पुष्टि कीया हुआ प्रतिलिपियां ।
- मूल दस्तावेजों के वजाय नोटरी पब्लिक, अधिकृत एजेंट जो एक वकिल है, कानूनी सलाहकार, पेटेंट वकिल या कर सलाहकार द्वारा आधिकारिक तौर पर सत्य प्रतिलिपि के रूपमें पुष्टि कीया हुआ प्रतिलिपिया-पहचान दस्तावेजों में लागू नहि किया जाएगा । (यात्रा दस्तावेज)
- कार्यवाहि में पेश किया गया सबुत अगर विदेशियो की अपनि मातृभाषामें लिखा है तो उसे आधिकारिक अनुवादक से पॉलिश भाषामा अनुवाद किया जा सकता है । (यात्रा दस्तावेज से सम्बन्धित नहि है)

२.४ समय सीमा

कानून निपटान की लागू नियम के अनुसार केवल इस मामले में :

- मामले की आवश्यकता जांच की तुलना एक महिने के दौरान हो लेना चाहिए ।
- विशेष रूपसे जटिल- कार्यविधि शुरु होने के दिन से २ महिने के भितर ।
- और अपिल पर- अपिल की प्राप्ति की तारीख से एक महिने के भितर ।

सेटलमेंट के मामले मे, सेटलमेंट परमिट और यूरोपीय समुदाय के नागरिक की लंबि अबधि के निवास के परमिट प्रदान करने की आवेदन पत्र कार्यविधि शुरु होने के दिन से तिन महिने के भितर खत्म कर देना चाहिए ।

- पुनः अपिल प्रकृया मे- पुनः अपिल की आवेदन प्राप्ति की तारीख से २ महिने के भितर खत्म कर देना चाहिए।

निर्धारित अबधि के निवास के परमिट / सेटलमेंट परमिट / यूरोपीय समुदाय के नागरिक की लंबि अबधि के निवास के परमिट देने के बारे मे निर्णय करने से पहले राज्यपाल वार्डर गार्ड कमाण्डर, क्षेत्रिय पुलिश कमाण्डर, आन्तरिक सुरक्षा एजेंसी प्रमुख और आवश्यक परने पर अन्य अंगो को पॉलिश क्षेत्र पर आया हुआ विदेशी राष्ट्रिय रक्षा या राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्थाकी रक्षा पर खतरा है या नहि के वारेमें जानकारी देने के लिए अनुरोध के साथ सूचित कीया जाएगा ।

नियमो के अनुसार, उपरोक्त अधिकारीयों को ३० दिनों के भितर इन जानकारीका स्थान्तरन करने के लिए उपकृत किया जाएगा ताकी उम्मीद है की इस मामलेको आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक ३० दिन पिछला जाएगा ।

यदावी इन शरतोके प्रत्येक मामलेको तय नहि कर पाते है, पहेला और दुसरा उदाहरणो के अधिकारी के लिए देरी के कारण और मामला सुलभानेके लिए नई तारिख पार्टीको सूचित करने का फर्ज बनता है ।

२.५ मुख्तारनामा, वकालतनामा

पार्टी एक आधिकारिक एजेंट द्वारा मुखतरनामा कर सकते हैं, जबतक इस गतिविधियों का चरित्र अपनी व्यक्तिगत संलग्नताकी आवश्यक हो सकता है। पार्टीके आधिकृत एजेंट कानूनी क्षमता वाले सामान्य और प्राकृतिक व्यक्ति हो सकता है।

- मुख्तारनामा को लिखित रूप में दि जानी चाहिए या रिपोर्ट के लिए सूचना दि जानी चाहिए।
- एजेंट को मुख्तारनामा की आर्गीनल दस्तावेज या आधिकारिक तौर पर प्रमाणित प्रतिलिपि को संलग्न करना चाहिए।
- ईस मुख्तारनामा की दस्तावेज के साथ साथ स्टॉप शुल्क जो १७ ज्लोटी के भुगतानके सबुत भि संलग्न करना चाहिए।
- दी गई मुख्तारनामा उचित राज्यपाल और विदेशियों के कार्यालयके अधिकारी के सामने तथ्यात्मक प्रसंस्करण बनाने मे विदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन्टाइटलमेंट करेगा।

२.६ पत्राचार डिलिवरी

सभी दस्तावेजों (सलाह, सम्मन, निर्णय, संकल्प आदि) प्राप्ति के लिए डाक द्वारा या पहला या दूसरी उदाहरणके अपेक्षाकृत सिभिल सेवक द्वारा वितरीत किया जाएगा।

दस्तावेजों को पार्टी द्वारा दिया गया ठेगाना पर या फिर ऐसी जगह पर भेजा जाएगा जहा से पार्टी इन दस्तावेजों को हाशिल कर सकते है। दस्तावेजों को काम की जगह में नियोक्ता द्वारा पत्राचार प्राप्त करनेका अधिकार दिया गया व्यक्तिको भी दीया जा सकता है।

पते मे परिवर्तन

कार्यवाही के दौरान पार्टियों और उनके आधिकारिक एजेंट और प्रतिनिधियों को अपने पता और निवास की जगह के किसी भी परिवर्तन के बारे में सार्वजनिक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। पत्र हमेशा संबंधित अधिकारियों द्वारा दिखाया गया पिछले पता पर वितरित किया जाएगा।

- यदि आप ऊपर उल्लेख किया गया कर्तव्य की उपेक्षा करते है तो वर्तमान पते के तहत प्रसव पत्र प्रभावी हो जाएगा।
- पता अनुपस्थिति : पता अनुपस्थिति के खिलाफ पत्र पडोसी या घर के नौकर के वयस्क सदस्यको दिया जाएगा अगर वे पत्र निवेदकको देनेका वादा करते है। पडोसी या घर के नौकर को पत्र निवेदक को पहुंचाने के बारे में जानकारी मेल बाँक्स में या अगर यह संभव नहीं है तो फ्लैट के दरवाजे द्वारा सूचित किया जाएगा।

वितरित पत्र

- **पार्टी :** पार्टी द्वारा दिखाया गया पते पर या फिर पार्टीके सकृय एजेंट के पते पर ।
 - पार्टी द्वारा डिलिवरी की तारीख को दिखाने के साथ हस्ताक्षर किए रसीद पत्र की पावती के लिए आभारी है । जो व्यक्ति इस पत्रको प्राप्त करता है उसकी हस्ताक्षर यह पुष्टि करता है की किस तारीख और किस व्यक्ति ने पत्र प्राप्त किया ।
 - यदि पार्टी मेल द्वारा या किसी अन्य रास्ते से भेजे गए पत्र को प्राप्त करने से मना करता है तो पत्र सिधे प्रेषकको इनकार करनेकी तारिख के नोट के साथ वापस भेजा जाएगा । ईस घटना में काफी है कि पत्र निवेदक द्वारा अपनी स्वीकृति के इनकार के दिन में दिया गया था ।
- **एजेंट :** यदि पार्टी एजेंट सेट करता है तो पत्र उसे डिलिवरी किया जाएगा । यदि पार्टी एक से बढ़कर ज्यादा एजेंट सेट करता है तो वो खुद फैसला कर सकते है कि पत्र किस एजेंट को डिलीवरी किया जाए और इस निर्णय अंग की कार्यवाही के संचालन के बारे में बताए । यदि विदेशी ईस तरहके एजेंट नहि दीखाता है तो पत्र सिर्फ एक हि एजेंटको भेजा जाएगा ।

उपरोक्त तरिको से पत्र पहुंचाने की अक्षमता के मामले में

- डाक द्वारा भेजा गया पत्र अपनी स्थानीय पोस्ट के मेल में १४ दिनों तक रखेंगे ।
- पत्र १४ दिनों के लिए उपयुक्त नगरपालिकाके कार्यालयमें रखा जाएगा अगर पत्र नगर निगम के एक कर्मचारी (शहर) या कोई आधिकारीक व्यक्ति या मजिस्ट्रेट द्वारा भेजा गया है ।

पत्र छोड़ने के अधिसूचना में संभावना ७ दिन के भितर पत्र प्राप्त करने के लिए जानकारी के साथ पत्र छोड़ा जाएगा । मेल बाँक्स पर छोड़ा गया जानकारी के दिन से गिनती शुरू किया जाएगा । अगर यह संभव नहि हुआ तो निवेदक के फ्लैट के दरवाजे, उनके कार्यालय या फीर अन्य जगह जहा वह काम कर रहा है या दिखाइ जाने वाली निवेदक के सम्पतिके द्वार पर मे छोड़ा गया दिन से शुरू किया जाएगा ।

अगर पार्टी शिपमेंट उपर्युक्त समय में प्राप्त नहि करता है तो पहली अधिसूचना की तारिख से १४ दिनों के भितर शिपमेंट प्राप्त करने की नोटिश फिर से दिया जाता है ।

यह माना जाता है की उर्पयुक्त समय के आखिरि दिन डिलिभरी पूरा किया है और पत्र ईस केश के फाइल में रखा जाएगा ।

२.७ विदेशों में प्रस्थान के मामले में डिलिभरि पहुंचाना

- विदेशमे प्रस्थान करने वाले विदेशियों को सेवा के लिए प्रतिनिधि एजेंटकी उपलब्ध कराना होगा और उसके जानकारी मैजिस्ट्रेटको कराना होगा अगर विदेशी यह नियमको फालो नहि करते है तो पत्र उनकी पुरानी पते पर भेजा गया माना जाएगा ।
- यदि पार्टी विदेशों में निवास या रहता है और वह केश प्रदान करने के लिए कोई प्रतिनिधि एजेंट स्थापीत नहि करता उसे पोल्याड में डिलिवरी के लिए एजेंटको दिखाना वाध्य है । अगर डिलिवरी के लिए पोल्याडमें प्रतिनिधि नहि दिखाई तो इस पार्टीके लिए पत्र डिलिवरीके सकरात्मक प्रभाव के साथ मामले की फाईल में छोड़ा जा सकता है ।

२.८ कार्यकाल रखने की आवश्यकता

आवेदन पत्र और पोलिश भाषा में बनाई गई याचिका के प्रस्तुती के लिए निर्दिष्ट समय में सक्रिय बनाने के लिए ।

किसी विशेष गतिविधि बनाने के लिए समय एक सम्मान माना जाता है, इससे पहले कि अगर पत्र की समाप्ति की गई है ।

- अधिनियम के नियमों के तर्क पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जा सकता है जो कंप्यूटर बनाने के बारे में १७ फरवरी २००५ के बाद से मिलती है जो एहसास है ।
- पोलिश डाकघर में पोस्ट
- पोलिश कांसुली कार्यालय में प्रस्तुत
- सैन्य इकाई के सैनिक मुख्यालय द्वारा प्रस्तुत
- जहाज के स्टाफ के सदस्य से लेकर जहाज के कप्तान द्वारा प्रस्तुत
- दंड संस्थानके प्रशासन में कैदि द्वारा प्रस्तुत

पत्र सिधे मैजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जा सकता है जो ईस केश के मामले से संलग्न है ।

निर्दिष्ट कार्यको प्राप्त करने की तारिख के अलावा:

- मध्यम विदेशी डाकघर के माध्यम से वितरित की स्थिति में : पोलिश डाकघर में प्राप्त तारिख (पोलिश डाकघर के पोस्ट स्टांप की तारिख)
- मध्यम कूरियर की माध्यम से डिलिवरी की ईवेन्ट में (शिपमेंट पोस्ट .पोल्यांड में और विदेश में) पर्याप्त मजिस्ट्रेट को मिला हुआ तारिख

औपचारिक असफलता के कारणो तारीख की समाप्ती को सात दिनों के भितर समय सीमा की राहत के लिए पूछ सकते है। उसकी गलती के बिना किया गया निर्णयको साबीत करने लिए सबुत पेश करना पडेगा ।

एक साथ दाखिल अनुरोध के साथ औपचारिक कमियों पूरक होना चाहिए

२.९ केश के कृत्यों के साथ मिल रहि ज्ञान

- प्रसंस्करणके हर चरण में पार्टी को मामले के कृत्यों में देखना , टिप्पणी से प्रारुप बनाना, नकल या डुप्लिकेट बनाने का अधिकार है । यह अधिकार कार्यवाही की समाप्तिके बाद भि लागू होगा ।
- पार्टि आधिकारीक व्यक्तिको डुप्लिकेट या दस्तावेजकी प्रमाणित नकल प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के लिए पूछ सकते है ।
- डुप्लिकेट या फाइलो से कापी को प्रमाणिकरण करने का पुष्टि के लिए स्टांप शुल्क ५ ज्लोटी लागत है ।
- कार्यवाही में सकृय भागिदारी : लोक प्रशासन मैजिस्ट्रेट पार्टियोंको कार्यवाही की हर चरण में सकृय भागिदारी के लिए सेवा प्रदान करना वाध्य है और निर्णय करने से पहले एकत्र किया हुआ सबुतों, दस्तावेजों और पेश किया गया अनुरोध निवेदन पर टिप्पणी करने का अधिकार भि दिया जाता है ।
- पार्टी एकत्र किया सबुतों, दस्तावेजों और पेश किया गया अनुरोध निवेदन को पूरा कर सकते है और प्रोटोकाल के लिए मुद्दे प्रस्तुत कर सकते है ।

२.१० स्टांप शुल्क

क्षमादान देनेके लिए क्षेत्रिय कार्यालय मे आवेदन प्रस्तुत किया जाने के पल से स्टांप शुल्क भुगतान करने का कर्तव्य बनता है । विदेशियों स्टांप शुल्क का भुगतान उचित मजिस्ट्रेटो यानी की क्षेत्रिय कार्यालय (प्रमुख शहर के अध्यक्ष) के खाते पर करना होगा । जो कोहि अन्य दस्तावेजके लिए आवेदन पत्र पेश करते समय इस आवेदनके साथ स्टांप शुल्क भुगतानके रसिद सबुत के तौर पर संलग्न करना होगा ।

अन्य बातोके अलावा स्टांप शुल्क के अन्तर्गत आते है

- समयका एक निर्धारित अवधिके लिए निवास की अनुमति-३४० ज्लोटी
- सेटलमेंट परमिट प्रदान शुल्क -६४० ज्लोटी
- यूरोपीय समुदाय के नागरिक की लंबि अबधि के निवास के परमिट-६४० ज्लोटी
- देशी वीजा विस्तार शुल्क -४०६ ज्लोटी
- ऐच्छिक शेनेगन वीजा विस्तार शुल्क-३० यूरो
- उपर दिया गया से अन्य निर्णय जिस मे प्रशासनिक प्रकृया संहिता के लागू के लिए -१० ज्लोटी
- प्रमाण पत्र शुल्क-१७ ज्लोटी
- मुख्तारनामा पुष्टि करने का दस्तावेज या उसकी नकल, निकालना या काँपी करना-१७ ज्लोटी

अगर क्षमादान के तहत समयका एक निर्धारित अवधि/सेटलमेंट निवास की अनुमति आवेदन पत्रमें संलग्न बच्चे या अन्य सदस्य जो विदेशिके संरक्षण के अन्तर्गत है उर्पयुक्त शुल्क उनमे से प्रत्येक को भुगतान करना होगा ।

अगर आवेदन पत्र के साथ यह शुल्क भुगतान नहि किया गया तो मजिस्ट्रेट रकम भुगतानी के लिए समय सिमा दे दिया जाएगा । समय सीमा ७ दिनसे कम और १४ दिनसे बढकर नहि दिया जाएगा । अगर दिया हुआ समय सिमा के अन्दर शुल्क भुगतान नहि किया गया तो आवेदन पत्र वापस किया जाएगा । स्टांप शुल्क के विस्तृत आइटम, फीस की दर और छुट **Act from 16th November 2006 about stamp duty (Journal of laws No. 225, item 1635 as later amended).**

रिफंड का प्राप्त

समयका एक निर्धारित अवधिके लिए निवास की अनुमति निवेदन शुल्क रिफंड किया जाएगा अगर निवेदन अस्वीकृत किया जाएगा । रिफंड प्राप्तिके लिए क्षेत्रिय कार्यालय (प्रमुख शहर के अध्यक्ष) को निवेदन पेश किया जाना चाहिए । Act 1 of article 12 स्टांप शुल्क के तहत निवेदन शुल्क रिफंड नहि किया जाएगा अगर निवेदन शुल्क भुगतान किया हुआ साल से अधिक से अधिक पाँच साल वित्ता हुआ हो ।

अध्याय ३

वीजा विस्तार

३.१ आवेदन पर मैजिस्ट्रेट के विचार

शेनेगन वीजा विस्तार और देशी वीजा का निवेदन विदेश के निवास स्थान का क्षेत्रिय कार्यालय में पेश करना ।

३.२ देशी वीजा विस्तार

पाँलिस क्षेत्र में निवासीत विदेशी अपनी देशी वीजा या निवास का समय की वैधता अगर निचे की सभि सर्तो से मिलता है तो **विस्तार कर सकते हैं** :

- १) विदेशी राष्ट्रिय व्यवसायिक या व्यक्तिगत सामग्री, व्याज या मानविय विचार के कारण देशी वीजा के खत्म और निश्चित समय तक रहेनेका आदेश के खत्म के बाद भी इस क्षेत्रको छोडने में असंभव करता है तो वीजा विस्तार इस केस पर समर्थन करता है ।
- २) देशी वीजा विस्तार करने की जरूरत पर विदेशी आशय की स्वतन्त्र और देशी वीजा विस्तारके आवेदन पेश करने का दिन की उम्मीद असंभव होना ।
- ३) मामले की परिस्थितियाँ जो पाँलिस क्षेत्र पर रहने के प्रयोजन के कोड संकेत नहि करता है तो अन्य के तुलनामें घोषित हो जाएगा ।
- ४) कोई परिस्थितियों वीजा से इन्कार पर समर्थन नहि करेगा ।

अस्पतालमें होनेके वक्त

विदेशी जो अस्पतालमें है और उनके स्वास्थ्य के स्थिति के कारण पोलैंड देशको छोडनेकी कोहि संभावना नहि मिलता है तो ऐसी हालात पर जब इस देशको छोडने के लिए स्वास्थ्य पूरा रूप से ठिक हो जाएगा तब तक देशी वीजा और निवास के समयको विस्तार किया जा सकता है ।

निवास का समय

डोमेस्टिक वीजा केवल एक वार विस्तार किया जा सकता है । विस्तारित वीजा पर पोलैंड में रहने की अवधि डोमेस्टिक वीजा से अधिकतम नहि हो सकता है, इसका मतलब एक वर्ष ।

३.३ शेनेगन वीजा विस्तार

विदेशियों जो पाँलिस क्षेत्र पर निवास कर रहा हो वह अपनी इस वीजाके द्वारा कवर किया गया वीजाके वैधता और निवास की अवधि को विस्तार कर सकते है अगर :

- साबित कर दिया की भगवान या मानविय समेकन के अधिनियम से वीजा की अवधिकी समाप्ती से पहले या इस वीजा के द्वारा कवर किया गया निवास के समयकी समाप्ती से पहले इस सदस्य राज्यके राज्यक्षेत्र को छोड़ने मे कोही भि संभव नहि है ।
 - उर्पयुक्त वीजा विस्ता मुफ्त है ।
- व्यक्तिगत अस्तित्व के महत्वपूर्ण कारणो से विस्तार की समय या निवास की समय की समाप्ती पर प्रेरित करने का सबुत दिखाए ।
 - उर्पयुक्त विस्तार के लिए ३० यूरो भुगतान करना होगा ।

निवास का समय

विस्तारित वीजा पर पोलैंड मे रहने की अवधि दिया गया वीजाके किसिम से अधिकतम नहि हो सकता है, इसका मतलव सेनेगन वीजा के तहत तिन महिने तक है ।

ध्यान दे वैध वीजा की समय हमेशा निवास का समय की तरह नहि हो सकता है जिसके लीए इस वीजा मिलती है ।

३.४ आवेदन पेश करने का समय

विदेशीयों जो इसके आधार पर अपनी निवास को विस्तार करने जा रहे हो :

- शेनेगन वीजा
- देशी वीजा

वीजा विस्तार के आवेदन पत्र अपनि निवास के पते का उपयुक्त क्षेत्रिय कार्यालय मे वीजा की समाप्ति के ३ दिन से पहले प्रस्तुत करने मे वाध्य है ।

अगर विदेशी यह साबित कर दिया की भगवान या मानविय समेकन के अधिनियम से वीजा की अवधिकी समाप्ती से पहले या इस वीजा के द्वारा कवर किया गया निवास के समयकी समाप्ती से पहले इस सदस्य राज्यके राज्यक्षेत्र को छोड़ने मे कोही भि संभव नहि है और अगर विदेशी अस्पताल मे है तो डोमेस्टिक वीजा या सेनेगन वीजा मे निर्दिष्ट किया गया अवधिके अन्तिम दिन तक आवेदनको प्रस्तुत किया जा सकता है ।

समय के बाद प्रस्तुत किया गया निवेदन पत्र पर कोई विचार नहि किया जाएगा ।

जव विदेशी उपर्युक्त टर्म मे निवेदन प्रस्तुत करते है, क्षेत्रिय कार्यालय उस वक्त यात्रा दशतावेज पर स्टंप प्रीन्ट करते है जिससे निवेदन पेश करने की पुष्टी होता है । अगर विदेशी निवेदन सहि समय पर पेश करते है और निवेदन पत्र पर कोही भी औपचारिक गलतियां नहि है और गलतियां वक्त के अन्दर सच्चाइ गइ है तो पॉलिस क्षेत्र पर निवास कर रहे विदेशीको निवेदन की पेश करने का दिन से डोमेस्टिक वीजा या सेनेगन वीजा विस्तारके निर्णय होने के दिन तक कानुनी तौर पर वैध माना जाएगा ।

यदि सेनेगन और डोमेस्टिक वीजा विस्तार का प्रकृया विदेशी के याचिका पर स्थगित किया जाएगा तो उसके कानुनी रूपसे निवास का दौरान अभ्यस्त हो जाएगा ।

ध्यान दें :

यात्रा दशतावेज पर छोड़ा गया स्टंप से सेनेगन के किसी भि राष्ट्र पर यात्रा नहि कर सकते है, लेकिन फीर भि वह अपनी देश वापस जा सकते है ।

३.५ निर्णय

डोमेस्टिक या सेनेगन वीजा विस्तारका निर्णय फैसलेके अनुसार कीया जाएगा । डोमेस्टिक या सेनेगन वीजा विस्तार यात्रा दशतावेज पर स्टीकर के रूपमे दिया जाएगा ।

३.६ दशतावेज

विदेशी जो डोमेस्टिक या सेनेगन वीजा विस्तार के लिए पेश कर रहे हो वह अपनी वैध यात्रा दशतावेज और साथ में वीजा विस्तार का कारण के दशतावेज निवेदन के साथ पेश करने में वाध्य है ।

१. **वास्तविक तश्वरे**— नष्ट नहि हुआ, रगिन, ३५×४५ MM की साइज, पीछला ६ महिने के अंदर युनिफार्मके खिचा गया हो, प्रकाश पृष्ठभूमी हो, यह तश्वरे अच्छि तरह से फोकस किया गया होना चाहिए, और फेश फ्राम टाप अफ द हेड टु कंधे के हिस्से से उपर जिसकी वजह से तश्वर की ८० प्रतिशत फेश लेती है । तश्वरोमें कोइ किसिमका हेड गियर और डार्क ग्लासेस की उपयोग नहि कीया जा सकता है । खुली आँखोसे सिधा देखना चाहिए, प्राकृतिक मुद्रायोंके साथ साथ वंदं मुह के साथ होना चाहिए ।
२. **दशतावेजों के पुष्टि**
 - **निवास के गंतव्य** और डोमेस्टिक वीजा और सेनेगन वीजा की विस्तार की आवश्यकता ।
 - **स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं** पर प्रावधानों का अर्थ सार्वजनिक धन से वित्त पोषण या एक यात्रा चिकित्सा बीमा के भितर स्वास्थ्य बीमा, बीमा के ३०,००० यूरो की एक न्यूनतम राशि, पोलिश क्षेत्र पर विदेशी का रहने की अवधि के दुरादा के साथ इस क्षेत्र में किसी भी चिकित्सा के कारणों से खर्च को कवर करने के लिए, तत्काल चिकित्सा की ध्यान की जरूरत है, आपातकालीन अस्पताल में इलाज या मृत्यु की स्थिति में, राष्ट्रिय वीजा विस्तार के मामले में संस्था द्वारा जारी किए गए बिल के आधार पर सिधे संस्था को प्रदान किया जाता है ।
 - सेनेगन वीजा के विस्तार के लिए **यात्रा चिकित्सा बीमा की राशि** न्यूनतम ३०,००० यूरो होना चाहिए ।
 - आवेदन में दिए गए अन्य परिशिथतीयां ।

यात्रा दशतावेज से सम्बन्ध आवश्यकताए

विदेशी जो सेनेगन वीजा और डोमेस्टिक वीजा के विस्तार के आवेदन के लिए पेश किया गया निरिक्षण यात्रा

दशतावेज निम्न मानदंडो को पुरा करना होगा :

- १) **वैध यात्रा दशतावेज** की अवधिक समाप्ती के तुलना मे अनुरोधित वीजा की समाप्ती के तिन महिने से पहिले नहि होगा ।
- २) कम से कम २ फ्री पृष्ठों की शामिल ।
- ३) पीछले १० साल के भितर जारी किया गया ।

निर्धारित अवधिके लिए निवास की अनुमति

समय का एक निर्धारित अवधिके लिए निवास की अनुमति के लिए आवेदन कर सकत है अगर वहाँ विशेष परिस्थितियाँ रहे हैं, पाँलिश क्षेत्र पर हर समय **तिन महिने से ज्यादा निवास करने के लिए प्रेरित हो** ।

४.१ परिस्थितियाँ, जो निर्धारित अवधिके लिए निवास की अनुमति देने के लिए आधार हो सकता है

१. नोकरी करना

वर्क परमिट या विदेशी के काम के प्रदर्शन के साथ नियोक्ताके अपनी **इरादाका लिखित घोषणा** अगर वर्क परमिट की आवश्यकता नपडने पर ।

२. व्यवसायिक कारोवार चलाना

पोलैड के नियमों के तहत, जो राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है, विशेष रूप से निवेश की वृद्धि मे योगदान, प्रोदयोगीकी के हस्तान्तरण, लाभकारी नवाचारों या नय कार्यस्थल का शुरु करना ।

३. कलाकार संपदा के लीए आधार

जव कोहि व्यक्ति कला के संपदा के साथ पाँलिश क्षेत्र पर कलाका काम जारी रखने जा रहा है ।

४. व्यवसायिक प्रशिक्षण और इंटरनशिप

यूरोपिय संघ के कार्यक्रमों की रुपरेखा के भितर साकार होकर ।

५. परिवार के सदस्य होना

प्रवास के कार्यकर्ता के साथ एक साथ रहना जिसके लिए कहता है की **THE EUROPEAN SOCIAL CARD drew up in Turine 18th October 1961 (Journal of Laws from 1999, No.8,pos.67),**

६. पोलीश नागरिक से सादी

७. परिवार के साथ कनेक्ट करना

जव विदेशी पाँलिश क्षेत्र पर आता है या फीर परिवार के साथ जोडने के उद्देश्य के लिए इस क्षेत्र पर रहता है ।

८. पाँलिश क्षेत्र पर पैदा हुए विदेशी के तहत कम उम्र के बच्चे

जव कम उम्र के बच्चे परवाह किए बिना पाँलिश क्षेत्र पर रहता है ।

९. विदेशी के जीवनसाथी या विदेशी के व्यस्क बच्चे

जब विदेशी कम से कम ५ साल तक पॉलिश क्षेत्र पर परिस्थितियों के आधार पर दिया गया निश्चित अवधिके निवास के परमिट से रहे रहा हो तो **7 point (connecting with family)**, कहता है।

१०. विधवापन, तलाक, जूदाइ या पाधान के मृत्यु या पहले दर्जे का वंशज के निधन पर

पोलिश क्षेत्र पर जब विदेशी समयका एक निर्धारित अवधिके परमिट के साथ विशेष परिस्थितियों के आधार पर दिया गया **7 point (connecting with family)**, जब विदेशी के एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण रूची का समर्थन करता है।

११. विधवापन या तलाक

पोलिश क्षेत्र पर जब विदेशी समयका एक निर्धारित अवधिके परमिट के साथ विशेष परिस्थितियों के आधार पर दिया गया **6 point (Marriage Polish citizen)**, जब विदेशी के एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण रूची का समर्थन करता है।

१२. पॉलिश क्षेत्र पर पैदा हुए विदेशी के तहत कम उम्र के बच्चे

जब कम उम्र के बच्चे एक निर्धारित अवधिके निवास परमिट वाले का वच्चा हो और पॉलिश क्षेत्र पर पैदा हुआ हो।

१३. लंबी अवधि के लिए किसी यूरोपियन राज्य में निवास करना

जब विदेशी कानूनो के तहत इस पॉलिश क्षेत्र पर व्यापार या काम करना चाहता है, जो अपनी पढाई, व्यवसायिक प्रशिक्षण और यह दर्शाता है की इस पॉलिश क्षेत्र पर रहने के लिए अन्य परिस्थितियां भी है।

१४. Point 13 में उल्लेख किया गया परिवारका सदस्य होना

यदि विदेशी एक विदेशी परिवारके सदस्य है एबचबनचबउज जघ में सदंभित जिससे वह यूरोपिय संघ के सदस्य राज्य के राज्यक्षेत्र में परिवार के साथ कनेक्ट करने की माँग कर निवास कर रहा हो।

१५. मानव तस्करी का शिकार होना

विदेशीको मानव तस्करीका शिकार हुआ माना जाएगा अगर **Council Framework Decision of 19 July 2002 on combating trafficking in human beings** के निचे दिए गए सभी सर्तों को पुरा करती है तो :

- १) पोलैंड गणराज्य के राज्यक्षेत्र के भितर रहता है तो।
- २) मानव तस्करी का मुकाबला करने की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के सहयोग के साथ संचालन करना
- ३) आपराधिक अपराधों के अवैध व्यापार से संबन्धित करने के संदिग्ध व्यक्तियों के साथ सम्पर्क विच्छेद।

१६. पूर्ण समय उच्च अध्ययन या पूर्ण कालिन पीएचडी अध्ययन लेना या जारी रखना

परदेशी जो पोलिश क्षेत्र पर पूर्ण समय उच्च अध्ययन या पूर्ण कालिन पीएचडी लेना या जारी रखने के लिए इस क्षेत्र में आते हैं उसे बाद में “अध्ययन” में संदर्भित किया जाएगा, और अगर किसी अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य में अध्ययन की हो और इस पोलिश क्षेत्र से पूरा करना चाहता है तो उसको भी शामिल किया जाता है।

१७. वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए

जब विदेशी एक वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना के लिए पोलिश क्षेत्र पर होस्टिंग के अनुसंधान के लिए समझौते के आधार पर विज्ञान के लिए जिम्मेदार मंत्री द्वारा अनुमोदित एक वैज्ञानिक संस्था के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।

१८. “वैज्ञानिक” नोट के साथ निवास की अनुमति होल्डिड

जब विदेशी के साथ निवास की परमीट Article 1(2) (a) of Council Regulation (EC) No 1030/2002 of 13 June 2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals (OJ L 157, 15.6.2002, p. 1-7) with a note "scientist" से सम्बन्धित हो और अगर किसी अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यद्वारा प्रदान किया गया हो, अगर अनुसंधान प्राजेक्ट की सम्झौता एक वैज्ञानिक संस्था के अनुमोदनसे इस पॉलिश क्षेत्र पर भी खोज कर सकते हैं।

१९. तुर्कि गणराज्य के नागरिकों

तुर्की गणराज्य के नागरिकों यूरोपिय आर्थिक समुदाय और तुर्की के बिच किया गया एक संघ की स्थापना १२ सितम्बर १९६३ पर संझौत अंकारा में हस्ताक्षर के तहत स्थापीत प्राधिकारियों द्वारा जारी कानुनी कृत्योंकी शर्तों के तहत पॉलीस क्षेत्र पर काम करने की अनुमति है। (OJ 217, 29.12.1964, p. 3687),

इसके अलावा विशेष परिस्थितियों के तहत समय का एक निर्धारित अवधि के लिए निवास परमीट की अनुदान देने का संभव है :

२०. अध्ययन

२१. व्यावसायिक प्रशिक्षण

२२. परिवार के रिस्ते

विदेशी की पॉलिश राज्य के नागरिक या यूरोपीय संघ के नागरिक होने के मामले में यूरोपिय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के सदस्य राज्य, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र या स्विस् परिसंघ दलों, पोलिश क्षेत्र पर रहने वाले या उसके साथ रहने जाने वाले।

२३. पादरी के सदस्यों, धार्मिक आदेशों चर्चों और धार्मिक संगठनों में धार्मिक कार्य प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों

विदेशी की एक मौलवी धार्मिक आदेशों चर्चों और धार्मिक संगठनों में धार्मिक कार्य प्रदर्शन करना जिनकी स्थिति अंतराष्ट्रीय समझौते द्वारा विनियमित है, राज्य और चर्च या अन्य धार्मिक संगठन के बिच संबन्धोका कानून या जो प्रबिष्टि के आधार पर चर्चों और अन्य धार्मिक संगठनों के रजिस्टर करने के लिए काम करते है, और पॉलिश क्षेत्र पर निवास अपने प्रदर्शन के लिए तैयार करने या प्रदर्शन समारोह के लिए संबंधित है।

२४. अन्य परिस्थितियां

अगर विदेशी अपनी इस पॉलिश क्षेत्र पर निवास को न्यायोचित ठहरानेका कोइ अन्य परिस्थितियों को साबित कर दिखाए।

४.२ पॉलिश क्षेत्र पर अवैध निवास के वक्त समय के एक निर्धारित अवधिके लिए निवास की अनुमति

एक अवैध रूप से पोलैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में रहने विदेशी को एक निश्चित अवधि के लिए निवास की अनुमति दी जा सकती है, यदि :

१) पॉलिश नियमों में **विदेशी को एक सार्वजनिक प्राधिकारी के सामने प्रकट होना आवश्यकता है**

२) विदेशीको पोलैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में मौजूद होने की की **असामान्य व्यक्तिगत परिस्थितियों** आवश्यकता है।

३) **इस गणराज्य के रुची द्वारा** आवश्यक है।

४) मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए प्राधिकारी का फैसला **विदेशी शायद मानव तस्करी का शिकार होने को** 19 July 2002 on combating trafficking in human beings के फ्रेमवर्क के अन्दर समर्थन करता है (OJ EC L 203 of 01.08.2002, p. 1; OJ EU Polish special edition, chapter 19, vol. 6, p. 52).

४.३ आवेदन पत्र के लिए पूरक आवश्यकताएँ

विदेशीयों को निर्धारित अवधिके निवास परमिट की आवेदन पत्र अपनी वीजा में उल्लेख किया हुआ निवासका अवधिकी समाप्ति के ४५ दिन से पहले अपनी निवास के पतेका क्षेत्रिय कार्यालय में पेश करना चाहिए या अपनी पहली निर्धारित अवधिके निवास परमिट की अवैधता से पहले। ४५ दिन की तारिख बहाल नहि किया जाएगा।

अगर आवेदन पेश करनेकी समय सीमा देखी गइ है और विदेशी निवेदन सहि समय पर पेश करते है और निवेदन पत्र पर कोही भी औपचारिक गलतियां नहि है और गलतियां वक्त के अन्दर सच्चाइ गइ है तो क्षेत्रिय कार्यालय उस वक्त यात्रा दस्तावेज पर **स्टंप प्रिन्ट** करते है जिससे निवेदन पेश करने की पुष्टी होता है। **पॉलिस क्षेत्र पर निवास कर रहे विदेशीको निवेदन की पेश करने का दिन से अन्तिम निर्णयका दिन तक कानुनी तौर पर वैध माना जाएगा।**

अगर निर्धारित अवधि के निवास परमिट की प्रकृया विदेशी के याचिका पर स्थगित किया जाएगा तो उसके कानुनी रूपसे निवास का दौरान अभ्यस्त हो जाएगा ।

ध्यान दें :

यात्रा दस्तावेज पर छोड़ा गया स्टंप से सेनेगन के किसी भी राष्ट्र पर यात्रा नहि कर सकते है, लेकिन फीर भी वह अपनी देश वापस जा सकते है ।

जहाँ निवेदन वीजा या अवधि जहा से पहले वाला निवास परमिट प्रदान किया गया था उसके आधार पर निवास की अवधिकी समाप्ती का ४५ दिन से पहले किया गया हो और प्रकृया निवास की अनुमति के समाप्ती होने से पहले पुरा नहि किया गया । वीजा मे मार्क किया गया निवास का अवधि या फीर अपनी निर्धारित अवधि की निवास परमिटके अवैधता होने से पहले पोलैंड गणराज्य का राज्यक्षेत्र को विदेशिको छोड़ने पर वाध्य किया जाता है । अगर इस नियमो को नमानकर पोलैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में अवैध रूपसे निवास करने पर क्षेत्रिय कार्यालय निर्धारित अवधिके निवास परमिट प्रदान करने से इन्कार करने का निर्णय लेनेमें वाध्य हो जाएगा ।

विदेशी को अपनी निवास परमिट की वैध तारिख से पहले अगले निर्धारित अवधिका निवास परमिट, सेटलमेंट परमिट और यूरोपीय समुदाय के नागरिक की लंबि अवधि के निवास के परमिट पाने तक **पोलैंड गणराज्य का छोड़ना होगा ।**

पोलैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में वीजा, निर्धारित अवधिका निवास परमिट, सेटलमेंट परमिट और यूरोपीय समुदाय के नागरिक की लंबि अवधि के निवास के परमिट के विना अवैध रूप से वर्तमान नियमों से विसंथगीत निवास और साथ साथ नोकरी और व्यापारीक कृयाकलाप करने पर विदेशीको **पोलैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्रको छोड़नेका निर्णय** या पोलैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्रसे कम से कम १ से ५ वर्ष तक वापस न आपाने वाले निष्कासन करनेकी घोषणा कर सकती है । विदेशी जिस्को **पोलैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्रसे निष्कासन** करने की घोषणा की है उसकी डेटा सेनेगन सूचना प्रणाली में भेजा जाएगा जिससे वह उपर उल्लेख किया हुआ समय तक किसी भी सेनेगन राज्य में प्रस्थान नहि कर सकता है ।

४.४ आवेदन पर मैजिस्ट्रेट के विचार

निर्धारित अवधिके निवास के परमिट देने या नादेनाका फैसला विदेशी के निवास की पते वाला क्षेत्रिय कार्यालय करता है । विदेशी जो विदेश मे निवास कर रहा हो वह काउन्सुल के माध्ययम से क्षेत्रिय कार्यालय में निर्धारित अवधिके निवास परमिट आवेदन कर सकता है ।

४.५ दस्तावेज

विदेशि वाध्य हैं :

- अपनी वैध यात्रा दस्तावेज को पेश करना होगा अगर ए दस्तावेज साथमे नहि है और न होनेका अच्छि बजह हो तो व्यक्तिगत पहिचानको पुष्टि होने वाला कोइ दुसरा दस्तावेज पेश कर सकते है ।
- आवेदन पत्र पेश किया जाय जिसे खुद भरा गया हो और इस आवेदनके साथ संलग्न रखना चाहिए :



४ वास्तविक तश्विरे

नष्ट नहि हुआ, रगिन, ३५×४५ MM की साइज, पीछला ६ महिने के अंदर युनिफार्मके खिचा गया हो, प्रकाश पृष्ठभूमी हो, यह तश्विरे अच्छि तरह से फोकस किया गया होना चाहिए, और फेश फ्राम टाप अफ द हेड टु कंधे के हिस्से से उपर जिसकी वजह से तश्विर की

द० प्रतिशत फेश लेती है। तश्चिरोमें कोइ किसिमका हेड गियर और डार्क ग्लासेस की उपयोग नहि कीया जा सकता है। खुली आँखोसे सिधा देखना चाहिए, प्राकृतिक मुद्रायोंके साथ साथ वदं मुह के साथ होना चाहिए।

- **व्यक्तिगत पहिचानको पुष्टि करने वाला कोइ भी दस्तावेज निर्धारित** अवधि पर निवास पाने की आवेदन पत्र के साथ पेश कर सकते है।
- **स्टंप शल्क भगतानके सबत**
- **स्वास्थ्य बीमा की दशतावेजों की पुष्टि करना** पोलैंड गणराज्यके राज्यक्षेत्र के अस्पतालमे

उपचारको कवर करने वाली राशी बराबरकी पब्लिक फन्ड से वित्तपोषित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं मे स्वास्थ्य बीमा की दशतावेजों की पुष्टि करना होगा। उपर उल्लेख किया गया दशतावेज निर्धारित अवधिके निवास परमिट प्रदान करने की आवेदन पत्र के साथ संलग्न कराना होगा, ध्यान में रखते हुए :

- नोकरी करना (point 1); व्यावसायिक गतिविधि (point 2); परिवारसे कनेक्ट करना (point 7); लंबी अवधि के लिए किसी यूरोपिएन राज्य में निवास करना (point 13); पूर्ण समय उच्च अध्ययन या पूर्ण कालिन पीएचडी अध्ययन लेना या जारी रखना (point 16); अध्ययन (point 20); व्यावसायिक प्रशिक्षण (point 21); परिवार के रिस्ते (point 22); अन्य परिस्थितियां (point 24) और
- विदेशी के जीवनसाथी या विदेशी के व्यस्क बच्चे जिसके वारेमे Article 54 (point 9) उल्लेख करता है, Point 13 मे उल्लेख किया गया परिवारका सदस्य होना (point 14); वैज्ञानीक (point 17) “वैज्ञानिक” नोट के साथ निवास की अनुमति होल्डिड (point 18); पादरी के सदस्यों, धार्मिक आदेशों चर्चों और धार्मिक संगठनों में धार्मिक कार्य प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों (point 23)

- **अपनी और अपने पर निर्भर रहने वाले परिवार के सदस्यके खर्चके लिए पर्याप्त आय के स्थीर**

और नियमित श्रोत के पूष्टि

करने वाले दशतावेज। उपर उल्लेख किया गया दशतावेज

निर्धारित अवधि के निवास की परमिट के लिए पेश किया गया आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। ध्यान में रखते हुए

- नोकरी करना (point 1); व्यावसायिक गतिविधि (point 2); परिवारसे कनेक्ट करना (point 7); लंबी अवधि के लिए किसी यूरोपिएन राज्य में निवास करना (point 13); व्यावसायिक प्रशिक्षण (point 21); परिवार के रिस्ते (point 22); अन्य परिस्थितियां (point 24) और
- विदेशी के जीवनसाथी या विदेशी के व्यस्क बच्चे जिसके वारेमे Article 54 (point 9) उल्लेख करता है, Point 13 मे उल्लेख किया गया परिवारका सदस्य होना (point 14)

- **अपनी जिन्दगी गुजारा करने के लिए और अपनी देश वापस जाने के लिए पर्याप्त श्रोत के पूष्टि**

करने वाले दशतावेज। उपर उल्लेख किया गया दशतावेज निर्धारित अवधि के निवास की परमिट के लिए पेश किया गया आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। ध्यान में रखते हुए

- पूर्ण समय उच्च अध्ययन या पूर्ण कालिन पीएचडी अध्ययन लेना या जारी रखना (point 16);
- अध्ययन (point 20) और
- वैज्ञानिक (point 17) “वैज्ञानिक” नोट के साथ निवास की अनुमति होल्डिड (point 18);

➤ **आवास पर सम्भौता करने का कानूनी शीर्षक जहाँ पर विदेशी रह रहा है और रहने वाला है ।**

विदेशी जहाँ पर निवास कर रहा हो या करने वाला हो उस पर कानूनी रूपसे सम्भौता करते वक्त इस आवास लैंडिड का सौदा नहि माना जाएगा जब तक पति या पत्नि, पती के माता पीता, विदेशी भाइ बहन, और वुलंद वंशज हो ।

कानूनी सम्भौता निर्धारित अवधि के निवास की परमिट के लिए पेश किया गया आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा । ध्यान में रखते हुए

- नोकरी करना (point 1); व्यावसायिक गतिविधि (point 2); परिवारसे कनेक्ट करना (point 7); लंबी अवधि के लिए किसी यूरोपियन राज्य में निवास करना (point 13); अध्ययन (point 20); व्यावसायिक प्रशिक्षण (point 21); परिवार के रिस्ते (point 22); अन्य परिस्थितियां (point 24) और
- विदेशी के जीवनसाथी या विदेशी के व्यस्क बच्चे जिसके वारेमे Article 54 (point 9) उल्लेख करता है, Point 13 में उल्लेख किया गया परिवारका सदस्य होना (point 14)

अपवाद

आवास पर कानूनी सम्भौता, आमदानी का श्रोत और स्थिरता और स्वास्थ्य बीमा से सम्बन्धित आवश्यकताएँ पाँलीश नागरिक के पति या पत्नि, निर्धारित अवधिके निवास परमिट वाला विदेशी के कम उम्रके बच्चे, पाँलीश क्षेत्र पत्र पैदा हुआ, जो यूरोपिय साकार के कार्यक्रम के रूपरेखा के भितर पेशेवार प्रशिक्षण और

४.६ परिवार के सदस्य

विदेशी के परिवार के सदस्य हैं :

- १) व्यक्ति जिसके साथ पाँलीश के कानून के तहत विवाह किया हो ।
- २) विदेशी के कम उम्रके बच्चे जिसके साथ पाँलीश के कानून के अन्दर सादि किया हो और गोद लिया हुआ बच्चा भी शामिल है ।
- ३) विदेशी के कम उम्रके बच्चे और गोद लिया हुआ बच्चा जिसे विदेशी आर्थिक सहयोग और जो माँ बाप का भूमिका निवाह कर रहे हो ।
- ४) **कम उम्रके बच्चे (point 1)** में उल्लेख किया गया, गोद लिया हुआ बच्चा भी जिसे विदेशी आर्थिक सहयोग और जो माँ बाप का भूमिका निवाह कर रहे हो ।
- ५) **कम उम्रके बच्चेके परिवार सदस्य** जिसे शरणार्थी और निवास करने की परमिट मिला हो और इस पाँलीश क्षेत्र पर परवाह विना निवास कर रहा हो । जिसे सीधे भाषामें बुलंद भि कहा जाता है ।

Article 54 of law of foreigners के अनुसार परिवार र जुड़ने के लिए निर्धारित अवधिके निवास की परमिट पोलैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में निवास कर रहे विदेशीके परिवार के सदस्य को दिया जाएगा :

- १) सेटलमेंट परमिट के आधार पर
- २) यूरोपीय समुदाय के नागरिक की लंबि अबधि के निवास के परमिट के आधार पर
- ३) शरणार्थी का दर्जा मिला हो तो
- ४) पूरक शुरक्षा के परमिट के साथ कनेक्शन
- ५) कम से कम २ वर्ष का निर्धारित अवधिके निवास के परमिट के आधार पर, परिवारके सदस्य के लिए अस्थाइ निवास की परमिट के आवेदन पेश करने से पहले तुरतं एक वर्ष से कम न रहने की अवधि के लिए जारी किए गए परमिट के अन्तर्गत शामिल है ।
- ६) निर्धारित अवधिके निवास के परमिट के आधार पर जिसके बारे में **Article 53 paragraph 1 point 17 and 18** में उल्लेख किया गया है ।

४.७ निर्धारित अवधिके निवास के परमिट प्रदान करने की अवधि

निर्धारित अवधिके निवास के परमिट पॉलिश क्षेत्र पर विदेशीयों का रहनेका आवश्यक प्राप्त के लिए हर समय २ साल के अवधि से अधिक नहि दिया जाएगा ।

इस स्थीती में समयका एक निर्धारित अवधिके निवास परमिट प्रदान करने के परिस्थिती हैं :

- **परिवार के साथ कनेक्ट करना**— समयका निर्धारित अवधिके निवास की परमिट प्रदान किया गया दिन के उस वक्त तक जब विदेशी पॉलीश क्षेत्र पर आता है या फीर परिवार के साथ जोड़ने के उद्देश्य के लिए इस क्षेत्र पर रहता है, और अगर इस विदेशी के पास सेटलमेंट परमिट, यूरोपीय समुदाय के नागरिक की लंबि अबधि के निवास के परमिट या शरणार्थीका दर्जा इस पोलैंड गणराज्य से प्रदान किया गया हो— २ साल तक
- अगर विदेशी **मानव तस्करी का शिकार** हुआ हो तो— ६ महिना
- विदेशी के मुद्देमें **article 53a, paragraph 2** के अनुसार अहशास प्राप्त करने के लिए आवश्यक अवधि पर, मानव तस्करी का मुकाबला करने की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के सहयोग के साथ संचालन करने पर जिसमें जारी किया गया था या निर्णय किया गया था—**३ महिने से अधिक नहि**
- **कम उम्रके बच्चे** के मामले में— उसके कानूनी प्रतिनिधी के लिए निर्धारित अवधिके निवास के परमिट प्रदान किया गया दिन के अवधि तक
- **अध्ययन** करना या जारी रखना—१ साल
- **अध्ययन या व्यावसायिक प्रशिक्षण** लेना— अध्ययन या व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवधि एक साल से अधिक नहि
- **वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए** —१ साल

ध्यान दें :

अगर परिस्थितियां निर्धारित अवधिके निवास के परमिट के आवेदान **Article 53, paragraph 1 point 16-18** (point 16- पूर्ण समय उच्च अध्ययन या पूर्ण कालिन पीएचडी अध्ययन लेना या जारी रखना , point17- वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए, point18- “वैज्ञानिक” नोट के साथ निवास की अनुमति होल्डिड), विदेशियों) को पोलैंड गणराज्य में रहने के लिए प्रेरित करना **एक साल से कम अवधि** के भितर, **Article 53, paragraph 1** के अनुसार निर्धारित अवधि के निवास परमिट को प्रदान किया जाएगा ।

- १) Point 16 मे— अध्ययन के अवधि में
- २) Point 17 मे— अनुसंधान के प्रोजेक्ट संचालन के अवधि में
- ३) Point 18 मे— पोलैंड गणराज्य में वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्यको आगे बढ़ाने के लिए ।

४.८ विचार के विना आवेदन पत्र को छोड़ना

समयका एक निर्धारित अवधिके लिए निवास की अनुमति के लिए आवेदन पत्र विचार के विना छोड़ा जा सकता है अगर :

- १) **Article 26, Paragraph1, Point 26** से संबन्धित पोलैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में शेनेगन वीजा के तहत निवास करना और प्रवेश करना, **Article 53a, Paragraph 2 (look at chapter 4.2)** के तहत निर्धारित अवधिके निवास के परमिट, **Article 53, Paragraph 1, Point 15 (look at chapter 4.1, Point 15)** के तहत निर्धारित अवधिके निवास की परमिट के आवेदनके मामले को छोड़कर ।
- २) **Article 110** में दर्शाया गया, जिसका मतलब **गिरफ्तार हुआ, सुरक्षा कम्प में रहना**, निष्काशन के लिए गिरफ्तारी होना, देश नहीं छोड़ने का निवारक उपाय जिसके लिए लागू किया गया हो या जिस पर कानूनके तहत किया गया निर्णयके क्रीयान्वयन से स्वतन्त्रता से वंचित करना ।
- ३) जिसके पास टोलेरेटेड परमिट है ।

और यह भी :

४) आवेदन पत्र का फार्मेट का स्वरूप में डिफैक्ट जैसे

- आवेदन पत्रके सभी भागको नहीं भरा गया हो
- मान्य यात्रा दस्तावेज या जब विदेशीके पास वैध यात्रा दस्तावेज साथ में नहीं हैं तो विदेशी की पहचानकी पुष्टि करने वाला अन्य आधिकारिक दस्तावेजको पेश ना करना,
- आवेदन पत्र के साथ संलग्न ना करना :
 - ४ वास्तविक तश्विरे ।
 - आवश्यक परने पर आवास की कानूनी सम्भौता ।
 - पोलैंड गणराज्य में स्थापीत अनुसंधान संस्थान के साथ अनुसंधान प्रोजेक्ट संचालन करने के लिए सम्भौता करना और विदेशी का निवास और निकाश का खर्च अपने संस्था के उपर लेने

के अनुसंधान संस्थान द्वारा लिखित घोषणा पत्र, सम्झौता के खत्म होने के ६ महिने के अन्दर सार्वजनिक कोषके साथ कवर करना, यदि उसकी निष्काशनके परिस्थितियां **Article 88, Paragraph 1 और Point 1** मे दर्शाया हो तो, **Article 53, Paragraph 1 और Point 17** में विदेशी के लिए दर्शाया गया ।

- पोलैंड गणराज्य के वाहेक यूरोपियन संघ के अन्य राष्ट्र मे स्थापीत अनुसंधान संस्थान के साथ अनुसंधान प्रोजेक्ट संचालन करने के लिए सम्झौता करना और विदेशी का निवास और निकाश का खर्च अपने संस्था के उपर लेने के अनुसंधान संस्थान द्वारा लिखित घोषणा पत्र, सम्झौता के खत्म होने के ६ महिने के अन्दर सार्वजनिक कोषके साथ कवर करना, यदि उसकी निष्काशनके परिस्थितियां **Article 88, Paragraph 1 और Point 1** मे दर्शाया हो तो, **Article 53, Paragraph 1 और Point 18** में विदेशी के लिए दर्शाया गया ।
- निर्धारित अवधि के निवास की परमिट के आवेदनके लिए कम उम्र के विदेशी के पैरेन्ट का भूमिका निबाह करने वाले व्यक्ति का समर्थन ।

४.९ निर्धारित अवधिके निवास के परमीट प्रदान करने से इन्कार करना

विदेशीको निर्धारित अवधिके निवास के परमीट प्रदान करने से इन्कार होगा यदि :

- १) **Article 53–53b** में उल्लेख किया गया आवश्यकताए को पुरा नकरना ।
- २) विदेशी की **व्यक्तिगत डाटा** पोलैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में प्रवेश न पाने की **सूची में दाखला** हो तो ।
- ३) डिपोर्ट के तहत उसकी **व्यक्तिगत डेटा सेनेगन सूचना प्रणाली** में दाखिल हो तो ।
- ४) अगर केश के परिस्थितियां विदेशी के पोलैंड गणराज्यके राज्य क्षेत्र में **रहनेका और प्रवेश** करनेका कारण घोषणा से अलग दिखा गया तो ।
- ५) परमिट के आवेदनका आधार पॉलिस नागरिक या पॉलिश क्षेत्र मे निवास कर रहे विदेशी के साथ सादी करना, **Article 54** में उल्लेख किया गया के आधार पर और **निर्धारित अवधि के निवास की परमीट प्राप्त करने के लिए अवैध सादि रचाना** ।
- ६) **रक्षा या राज्य सुरक्षा** या सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था या पालैंड गणराज्य के हित का कारणका आवश्यकता है ।
- ७) निर्धारित अवधि के निवास की परमिट के प्रकृया को आगे करने के लिए :
 - क) **निवेदन पेश करना** या दस्तावेज को संलग्न करना, जो **व्यक्तिगत डेटा सच न होना और जानकारी नकली होना** ।
 - ख) **नकली सबुत पेश करना या सचको छुपाना** या नकल प्रमाणिक करने के तहत पर या दस्तावेजों को अधिकता करना और ऐसी दस्तावेजों को प्रमाणिक करना ।
- ८) विदेशी को **बिमारी और संक्रमण** का प्रमाणीत करना, जिसे ५ दिसम्बर २००८ के व्यक्ति पर बिमार और संक्रमण से मुकावला के कानून के अनुसार अस्पतालमें भर्ति होना होगा (**Journey of Law, No.234, paragraph 1570**) या ईस प्रकार के बिमारी या संक्रमण के संदेह मौजूद है और विदेशी अस्पताल में भर्ति होने से इन्कार करना ।

- ९) राजकोष के मामले में कर्तव्य का दायित्व न करना ।
- १०) डिपोर्ट के मामले में राष्ट्रीय कोष से लागत किया गया शुल्क को वापस नहि करना ।
- ११) पोलैड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में अवैध निवास करना ।
- १२) Article 53, paragraph 1, point 16, के आधार पर अगले निर्धारित अवधि के निवास के परमिट के लिए आवेदन करना, लेकिन अध्ययन उतिर्ण न होना और अगले साल या सेमेस्टर के लिए सर्शत क्रेडीट ना मिलने पर ।

४.१० निर्धारित अवधिके निवास के परमीट को वापस लेना

विदेशी निर्धारित अवधिके निवास के परमीट को रद्द किया जाएगा अगर :

- १) जिस के आधार पर प्रदान किया गया था उसे समाप्त करने पर ।
- २) कम से कम एक अवस्था पैदा होने पर, जैसे :
 - उसकी व्यक्तिगत डाटा पोलैड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में प्रवेश न पाने की सूची में दाखला हो तो ।
 - अगर केश के परिस्थितियां विदेशी के पोलैड गणराज्यके राज्य क्षेत्र में रहनेका और प्रवेश करनेका कारण घोषणा से अलग दिखा गया तो ।
 - परमिट के आवेदनका आधार पॉलिस नागरिक या पॉलिश क्षेत्र में निवास कर रहे विदेशी के साथ सादी करना, Article 54 में उल्लेख किया गया के आधार पर और निर्धारित अवधि के निवास की परमीट प्राप्त करने के लिए अवैध सादि रचाना ।
 - रक्षा या राज्य सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था या पालैड गणराज्य के हित का कारणका आवश्यकता है ।
 - निर्धारित अवधि के निवास की परमिट के प्रकृया को आगे करने के लिए :
 - निवेदन पेश करना या दस्तावेज को संलग्न करना, जो व्यक्तिगत डेटा सच न होना और जानकारी नकली होना ।
 - नकली सबुत पेश करना या सचको छुपाना या नकल प्रमाणिक करने के तहत पर या दस्तावेजों को अधिकता करना और ऐसी दस्ताबजों को प्रमाणिक करना ।
 - विदेशी को बिमारी और संक्रमण का प्रमाणीत करना, जिसे ५ डिसेम्बर २००८ के व्यक्ति पर बिमार और संक्रमण से मुकावला के कानुन के अनुसार अस्पतालमें भर्ति होना होगा (Journey of Law, No.234, paragraph 1570) या ईस प्रकार के बिमारी या संक्रमण के संदेह मौजूद हैं और विदेशी अस्पताल में भर्ति होने से इन्कार करना ।
 - राजकोष के मामले में कर्तव्य का दायित्व न करना ।
 - डिपोर्ट के मामले में राष्ट्रीय कोष से लागत किया गया शुल्क को वापस नहि करना ।
- ३) स्थाई रूप से अगर वह पोलैड गणराज्य के राज्य क्षेत्र को छोड दे तो ।

४.११ विदेश में निवास करने के समय निर्धारित अवधिके निवास के परमीट के लिए आवेदन पेश करना

विदेशी जो विदेश में निवास कर रहा हो वह काउन्सुल के माध्यम से अपनी निवास के पते से संबन्धित क्षेत्रिय कार्यालय में निर्धारित अवधिके निवास परमिट आवेदन कर सकता है। निर्धारित अवधिके निवास परमिट आवेदन फार्म दस्तावेज के साथ पेश करना होगा।

अगर निर्धारित अवधिके निवास परमिट आवेदन विदेश में पेश किया गया हो तो क्षेत्रिय कार्यालय का निर्णय **परिषद के प्राक्सी** द्वारा भेजा जा सकता है।

अगर निर्धारित अवधिके निवास परमिट के निर्णय लागू करते वक्त विदेशी विदेश में हो तब पोलैंड प्रवेश करने के लिए निर्धारित अवधिके निवास परमिट को साकार करने के उद्देश्य पर सेनेगन वीजा लागू के लिए आवेदन पेश करना होगा।

पोलैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्र पर प्रवेश करने के बाद कार्ता पोबीतु क्षेत्रिय कार्यालय द्वारा लागू किया जाएगा जिससे निर्धारित अवधिके निवास परमिट प्रदान किया गया था। विदेशी कार्ता पोबीतु को खुद आकर लेना होगा और अगर विदेशी १३ साल से कम उम्र के बच्चे होने पर कानुनी प्रतिनिधि या अभिभावक द्वारा लिया जा सकता है।

अध्याय ५

सेटलमेंट परमिट

सेटलमेंट परमिट उस विदेशीको दिया जाएगा :

- १) सेटलमेंट परमिट मिला हुआ विदेशी के पालैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ **कम उम्रके बच्चे** ।
- २) सेटलमेंट परमिट के आवेदन पेश करने से पहले **कम से कम ३ साल** तक पॉलिश नागरिक के साथ **सादि किया हुआ विदेशी** को और प्रत्यक्ष रूप से पालैंड गणराज्य के राज्यक्षेत्र में कम से कम लगातार **२ साल** तक निर्धारित अवधि के निवास परमिट के आधार पर संग साथ निवास कर रहे हो तो ।
- ३) जिसके निवेदन पेश करने से पहले **टोलेरेटेड परमिट** के आधार पर पालैंड गणराज्य के राज्यक्षेत्र में लगातार कम से कम **१० सालके** अवधि तक निवास करने पर **Article 97 (1) (1) or (1a) or Paragraph 2 of the Act of 13 June 2003** के अनुसार पालैंड गणराज्य के राज्यक्षेत्र में विदेशी को संरक्षण प्रदान करने के लिए और **५ साल तक शरणार्थी के दर्जा मिला हुआ व्यक्ति या सप्लीमेंट्री संरक्षण मिला हुआ व्यक्ति** को ।
- ४) पॉलिश नागरिक के बच्चे और अभिभावक के रूप में रहने पर ।

५१ मैजिस्ट्रेट के निर्णय

सेटलमेंट परमिट के निर्णय विदेशी के निवास पते से सम्बन्धित **क्षेत्रिय कार्यालय** द्वारा किया जाएगा । सेटलमेंट परमिट के निवेदन पत्र फार्म के रूपमें प्रस्तुत करना होगा ।

५२ लगातार निवास का पुष्टी और निवास में ब्रेक आने का कारण

पालैंड गणराज्य के राज्यक्षेत्र में निवास के अवधि को **लगातार** माना जाएगा अगर निवास के पुरा समय में **६ महिने से ज्यादा** की ब्रेक नहोन पर और निचे उल्लेख किया गया बुदे के आधार पर **कुल मिलाकर १० महिने को पार नकरने** पर :

- **पेशेवार ड्यूटी** निभाने के लिए या पालैंड गणराज्य के राज्यक्षेत्र में दर्ता हुआ कार्यालय के नियोक्ता के सम्भौता के आधार पर पालैंड गणराज्य के राज्यक्षेत्र के वाहर नोकरी करने पर ।
- पेशेवार ड्यूटी निभाने वाले या **Point 1** से सम्बन्धित नोकरी करने वाले के **साथ रहने वाला पति या पत्नि**
- **विदेशी के स्वास्थ्य उपचार** ।

५३ दस्तावेज यानी डकुमेन्ट

विदेशियों को वाध्य है :

- अपनी वैध यात्रा दस्तावेज को पेश करना होगा अगर ए दस्तावेज साथमे नहि है और न होनेका अच्छे बजह हो तो व्यक्तिगत पहिचानको पुष्टि होने वाला कोइ दुसरा दस्तावेज पेश कर सकते है ।
- आवेदन पत्र पेश किया जाय जिसे खुद भरा गया हो और इस आवेदनके साथ संलग्न रखना चाहिए :



४ वास्तविक तश्विरे

नष्ट नहि हुआ, रगिन, ३५×४५ MM की साइज, पीछला ६ महिने के अंदर युनिफार्मके खिचा गया हो, प्रकाश पृष्ठभूमी हो, यह तश्विरे अच्छे तरह से फोकस किया गया होना चाहिए, और फेश फ्राम टापे अफ द हेड टु कंधे के हिस्से से उपर जिसकी वजह से तश्विर की ८० प्रतिशत फेश लेती है । तश्विरोमें कोइ किसिमका हेड गियर और डार्क ग्लासेस की उपयोग नहि कीया जा सकता है । खुली आँखोंसे सिधा देखना चाहिए, प्राकृतिक मुद्रायोंके साथ साथ वदं मुह के साथ होना चाहिए ।

- व्यक्तिगत पहिचानको पुष्टि करने वाला कोइ भी दस्तावेज सेटलमेंट परमिट पाने की आवेदन पत्र के साथ पेश कर सकते है।



स्टंप शुल्क भुगतानके सबुत



आवास पर सम्भौता करने का कानुनी शीर्षक जहाँ पर विदेशी रह रहा है और रहने वाला है ।

विदेशी जहाँ पर निवास कर रहा हो या करने वाला हो सेटलमेंट परमिट प्राप्ती के लिए **Article 64, Paragraph 1, Point 3** के आधार पर कानूनी रूपसे सम्भौता करते वक्त इस आवास लैंडिड का सौदा नहि माना जाएगा जब तक पति या पत्नि, पती के माता पीता, विदेशी भाइ बहन, और वुलंद वंशज हो ।

५४ निवेदन पत्र के लिए सप्लिमेन्टी आवश्यकताएं

पोलैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्र के निवास के कानून के आधार पर विदेशीको सेटलमेंट परमिट का निवेदन पेश करना होगा ।

पोलैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में कानूनी वैधता के साथ निवास करते वक्त अगर विदेशी निवेदन पेश करते हैं तो निवेदन पत्र पर कोही भी औपचारिक गलतियां नहि है और गलतियां वक्त के अन्दर सच्चाइ गइ है तो क्षेत्रिय कार्यालय उस वक्त यात्रा दस्तावेज पर **स्टंप प्रिन्ट** करते है जिससे सेटलमेंट परमिट प्रदान करने के निवेदन पेश करने की पुष्टी होता है । पॉलिस क्षेत्र पर निवास कर रहे विदेशीको निवेदन की पेश करने का दिन से सेटलमेंट परमिट प्रदान करने की निर्णयका अन्तिम दिन तक कानुनी तौर पर वैध माना जाएगा ।

अगर सेटलमेंट परमिट की प्रकृया विदेशी के याचिका पर स्थगित कीया जाएगा तो उसके कानुनी रूपसे निवास का दौरान अभ्यस्त हो जाएगा ।

ध्यान दें :

यात्रा दस्तावेज पर छोड़ा गया स्टंप से सेनेगन के किसी भी राष्ट्र पर यात्रा नहि कर सकते है, लेकिन फीर भी वह अपनी देश वापस जा सकते है ।

५५ विचार के विना आवेदन पत्र को छोड़ना

सेटलमेंट परमिट की अनुमति के लिए आवेदन पत्र विचार के विना छोड़ा जा सकता है अगर :

- विदेश में निवास करने पर
- पालैड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में अवैध निवास करना ।
- पालैड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में सेनेगन वीजा के तहत निवास करना और प्रवेश करना **Article 26, Paragraph 1, Point 26** विदेशी से संबन्धित विनियम के अनुसार जैसे मानवता के कारण से प्रवेश करना या राज्य के दिलचस्पी से या अन्तरराष्ट्रीय दायित्व के कारण ।
- पालैड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में निर्धारित अवधि के निवास परमिट के आधार पर निवास करना, **Article 53a , Paragraph 2 of the Act on foreigners** के आधार पर प्रदान किया गया, पालैड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में अवैध निवास करना ।
- गिरफ्तार हुआ, सुरक्षा काम्प में रहना, निष्काशन के लिए गिरफ्तारी होना, देश नहि छोड़ने का निवारक उपाय जिसके लिए लागु किया गया हो या जिस पर कानूनके तहत किया गया निर्णयके क्रीयान्वयन से स्वतन्त्रता से वंचित करना ।

और यह भी :

- आवेदन पत्र का फार्मेट का स्वरूप में डिफैक्ट जैसे
 - आवेदन पत्रके सभी भागको नहि भरा गया हो
 - मान्य यात्रा दस्तावेज या जब विदेशीके पास वैध यात्रा दस्तावेज साथ में नहि है तो विदेशी की पहचानकी पुष्टि करने वाला अन्य आधिकारिक दस्तावेजको पेश ना करना,
 - आवेदन पत्र के साथ संलग्न ना करना :
 - ४ वास्तविक तश्वरें ।
 - आवश्यक परने पर आवास की कानूनी सम्झौता ।

५६ सेटलमेंट परमिट प्रदान करने से इन्कार करना

विदेशीका सेटलमेंट परमिट प्रदान करने से इन्कार होगा यदि :

- १) **Article 64, Paragraph 1** में उल्लेख किया गया आवश्यकताए को पुरा नकरना ।
- २) विदेशी की व्यक्तिगत डाटा पालैड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में प्रवेश न पाने की सूची में दाखला हो तो ।
- ३) डिपोर्ट के तहत उसकी व्यक्तिगत डेटा सेनेगन सूचना प्रणाली में दाखिल हो तो ।
- ४) रक्षा या राज्य सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था या पालैड गणराज्य के हित का कारणका आवश्यकता है ।

- ५) परमिट के आवेदनका आधार पॉलिस नागरिक या पॉलिश क्षेत्र मे निवास कर रहे विदेशी के साथ सादी करना और सेटलमेंट परमीट प्राप्त करने के लिए अवैध सादि रचना ।
- ६) सेटलमेंट परमिट के प्रकृया को आगे करने के लिए :
 - क) निवेदन पेश करना या दस्तावेज को संलग्न करना, जो व्यक्तिगत डेटा सच न होना और जानकारी नकली होना ।
 - ख) नकली सबुत पेश करना या सचको छुपाना या नकल प्रमाणिक करने के तहत पर या दस्तावेजों को अधिकता करना और ऐसी दस्ताबजों को प्रमाणिक करना ।
- ७) राजकोष के मामले में कर्तव्य का दायित्व न करना ।
- ८) डिपोर्ट के मामले में राष्ट्रिय कोष से लागत किया गया शुल्क को वापस नहि करना ।

५७ सेटलमेंट परमीट वापस लेना

विदेशी के सेटलमेंट परमीट को रद्द किया जाएगा अगर :

- १) रक्षा या राज्य सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था या पालैड गणराज्य के हित का कारणका आवश्यकता है ।
- २) निवेदन पेश करना या दस्तावेज को संलग्न करना, जो व्यक्तिगत डेटा सच न होना और जानकारी नकली होना ।
- ३) सेटलमेंट परमिट प्रदान करने के प्रकृया में नकली सबुत पेश करना या सचको छुपाना या नकल प्रमाणिक करने के तहत पर या दस्तावेजों को अधिकता करना और ऐसी दस्ताबजों को प्रमाणिक करना ।
- ४) अगर अन्तराष्ट्रीय जुर्म करने पर पालैड गणराज्य के राज्यक्षेत्र में ३ साल के कैद के लिए अन्तिम कानूनी फैसला किया जाने पर ।
- ५) स्थाई रूप से अगर वह पालैड गणराज्य के राज्य क्षेत्र को छोड दे तो ।

५८ सेटलमेंट परमीट प्रदान करने का अवधि

सेटलमेंट परमिट बगैर निश्चित अवधि के प्रदान किया जाएगा ।

१० साल के लिए प्रदान किया गया कार्ता पोवितु वह दस्तावेज हे जो सेटलमेंट परमिट प्रदान किया जानेका पुष्टि करता है ।

दिर्घकालिन यूरोपियन संघ के नागरिक प्राप्त करने की दिन से सेटलमेंट परमिट की अवधि समाप्त हो जाएगा ।

अध्याय ६

दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट

दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट पालैंड गणराज्यके राज्य क्षेत्र में निवासीत विदेशिके अनुरोध पर दिया जाएगा, सीधे पहले निवेदन पत्र पेश करने से, कानूनी तौर पर और नियमित कम से कम ५ साल तक, जिसके पास है :

- खुद पर और अपने पर निर्भर परिवार के सदस्यके खर्च को बनाए रखने की लागत को कवर करने के लिए स्थिर और नियमित आय श्रोत ।
- सामान्य स्वास्थ्य बीमा के अधिनियम के तहत स्वास्थ्य बीमा या बीमा कम्पनि द्वारा पालैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्र पर स्वास्थ्य उपचारके लिए बीमाकृत राशि के सबुत ।

६.१ मेजिस्ट्रेट के निर्णय

दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट के निर्णय विदेशी के निवास पते से सम्बन्धित क्षेत्रिय

६.२ दस्तावेज यानी डकुमेन्ट

विदेशियों को वाध्य है :

- अपनी वैध यात्रा दस्तावेज को पेश करना होगा अगर ए दस्तावेज साथमें नहि है और न होनेका अच्छि बजह हो तो व्यक्तिगत पहिचानको पुष्टि होने वाला कोइ दुसरा दस्तावेज पेश कर सकते है ।
- आवेदन पत्र पेश किया जाय जिसे खुद भरा गया हो और इस आवेदनके साथ संलग्न रखना चाहिए :

- **४ वास्तविक तश्विरे** नष्ट नहि हुआ, रगिन, ३५×४५ MM की साइज, पीछला ६ महिने के अंदर युनिफार्मके खिचा गया हो, प्रकाश पृष्ठभूमी हो, यह तश्विरे अच्छि तरह से फोकस किया गया होना चाहिए, और फेश फ्राम टाप अफ द हेड टु कंधे के हिस्से से उपर जिसकी वजह से तश्विर की ८० प्रतिशत फेश लेती है । तश्विरोमें कोइ किसिमका हेड गियर और डार्क ग्लासेस की उपयोग नहि कीया जा सकता है । खुली आँखोसे सिधा देखना चाहिए, प्राकृतिक मुद्रायोंके साथ साथ वदं मुह के साथ होना चाहिए ।

- **व्यक्तिगत पहिचानको पुष्टि करने वाला कोइ भी दस्तावेज** दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट पाने की आवेदन पत्र के साथ पेश कर सकते है ।

- **स्टंप शुल्क भुगतानके सबुत**

- **आवास पर सम्भौता करने का कानूनी शीर्षक जहाँ पर विदेशी रह रहा है और रहने वाला है ।**

विदेशी जहाँ पर निवास कर रहा हो या करने वाला हो दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट प्राप्ती के लिए कानूनी रूपसे सम्भौता करते वक्त इस आवास लैंडिड का सौदा

नहि माना जाएगा जब तक पति या पत्नि, पती के माता पीता, विदेशी भाइ बहन, और वुलंद वंशज हो ।

६.३ निवेदन पत्र के लिए सप्लिमेन्टी आवश्यकताए

पोलैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्र के निवास के कानून के आधार पर विदेशीको दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट का निवेदन पेश करना होगा ।

पोलैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में कानूनी वैधता के साथ निवास करते वक्त अगर विदेशी निवेदन पेश करते हैं तो निवेदन पत्र पर कोही भी औपचारिक गलतियां नहि है और गलतियां वक्त के अन्दर सच्चाइ गइ है तो क्षेत्रिय कार्यालय उस वक्त यात्रा दस्तावेज पर स्टंप प्रिन्ट करते है जिससे दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट प्रदान करने के निवेदन पेश करने की पुष्टी होता है । पाँलिस क्षेत्र पर निवास कर रहे विदेशीको निवेदन की पेश करने का दिन से दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट प्रदान करने की निर्णयका अन्तिम दिन तक कानूनी तौर पर वैध माना जाएगा ।

अगर दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट की प्रकृया विदेशी के याचिका पर स्थगित कीया जाएगा तो उसके कानूनी रूपसे निवास का दौरान अभ्यस्त हो जाएगा ।

ध्यान दें :

यात्रा दस्तावेज पर छोडा गया स्टंप से सेनेगन के किसी भि राष्ट्र पर यात्रा नहि कर सकते है, लेकिन फीर भि वह अपनी देश वापस जा सकते है ।

६.४ विचार के विना आवेदन पत्र को छोड़ना

दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट की अनुमति के लिए आवेदन पत्र विचार के विना छोडा जा सकता है अगर :

- विदेश में निवास करने पर
- पालैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में अवैध निवास करना ।
- पालैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में शेनेगन वीजा के तहत निवास करना और प्रवेश करना **Article 26, Paragraph 1, Point 26** विदेशी से संबन्धित विनियम के अनुसार जैसे मानवता के कारण से प्रवेश करना या राज्य के दिलचस्पी से या अन्तरराष्ट्रीय दायित्व के कारण ।
- पालैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में निर्धारित अवधि के निवास परमिट के आधार पर निवास करना, **Article 53a , Paragraph 2 of the Act on foreigners** के आधार पर प्रदान किया गया, पालैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में अवैध निवास करना ।
- गिरफ्तार हुआ, सुरक्षा काँप में रहना, निष्काशन के लिए गिरफ्तारी होना, देश नहि छोड़ने का निवारक उपाय जिसके लिए लागु किया गया हो या जिस पर कानूनके तहत कीया गया निर्णयके क्रीयान्वयन से स्वतन्त्रता से वंचित करना ।

- अध्ययन या व्यवशायिक प्रशिक्षण लेने के लिए पालैड गणराज्यके राज्य क्षेत्र में निवास करना ।
- टोलेरेटेड परमिट पर निवास होन पर, शरणार्थी, शरणार्थी का दर्जा पालैड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में लागु किया गया और सप्लिमेन्टी सुरक्षा या स्थायी सुरक्षा का प्रयोग ।
- शरणार्थी या आजिल प्रदान करने के लिए निवेदन पेश करने पर ।
- जो au pair कर्मचारी हो, समयानुकूल कर्मचारी, सीमा पार के सेवा के प्रावधान के उद्देश्य के लिए एक सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्यायोजित, जो सीमा पार सेवा के सेवा प्रदाता हो ।
- पालैड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में निर्धारित अवधि के निवास परमिट के आधार पर निवास करना, **Article 53 , Paragraph 1, Point 5 or 7 or Article 53a, Paragraph 1, Point 1 lit. a** of the Act on foreigners के आधार पर प्रदान किया गया,

और यह भी :

- आवेदन पत्र का फार्मेट का स्वरूप मे डिफैक्ट जैसे
 - आवेदन पत्रके सभि भागको नहि भरा गया हो
 - मान्य यात्रा दस्तावेज या जब विदेशीके पास वैध यात्रा दस्तावेज साथ में नहि है तो विदेशी की पहचानकी पुष्टि करने वाला अन्य आधिकारिक दस्तावेजको पेश ना करना,
 - आवेदन पत्र के साथ संलग्न ना करना :
 - ४ वास्तविक तश्वरें ।
 - आवश्यक परने पर आवास की कानूनी सम्झौता ।

६.५ दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट प्रदान नहि किया जाएगा

दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट विदेशीको प्रदान नहि कीया जाएगा :

- १) अध्ययन या व्यवशायिक प्रशिक्षण लेने के लिए पालैड गणराज्यके राज्य क्षेत्र में निवास करना ।
- २) टोलेरेटेड परमिट पर निवास होन पर, शरणार्थी, शरणार्थी का दर्जा पालैड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में लागु किया गया और सप्लिमेन्टी सुरक्षा या स्थायी सुरक्षा का प्रयोग ।
- ३) शरणार्थी या आजिल प्रदान करने के लिए निवेदन पेश करने पर ।
- ४) जो au pair कर्मचारी हो, समयानुकूल कर्मचारी, सीमा पार के सेवा के प्रावधान के उद्देश्य के लिए एक सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्यायोजित, जो सीमा पार सेवा के सेवा प्रदाता हो ।
- ५) पालैड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में शेनेगन वीजा के तहत निवास करना और प्रवेश करना **Article 26, Paragraph1, Point 26** विदेशी से संबन्धित विनियम के अनुसार या निर्धारित अवधिके निवास की परमिट **Article 53 , Paragraph 1, Point 5 or 7 or Article 53a, Paragraph 1, Point 1 lit. a** या **Paragraph 2** of the Act on foreigners के आधार पर प्रदान किया गया,
- ६) गिरफ्तार हुआ, सुरक्षा कम्प मे रहना, निष्काशन के लिए गिरफ्तारी होना, देश नहि छोडने का निवारक उपाय जिसके लिए लागु किया गया हो या जिस पर कानूनके तहत कीया गया निर्णयके कीयान्वयन से स्वतन्त्रता से वंचित करना ।

६.६ ५ साल तक की कानुनी तौर पर और निरंतर निवास की पुष्टी

जो दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट के पुरस्कार से निर्धारण ५ साल की निवास अवधि को विदेशी के निवास को समावेश नहि करेगा :

- १) गिरफ्तार हुआ, सुरक्षा काम्प मे रहना, निष्काशन के लिए गिरफ्तारी होना, देश नहि छोडने का निवारक उपाय जिसके लिए लागु किया गया हो या जिस पर कानूनके तहत कीया गया निर्णयके क्रीयान्वयन से स्वतन्त्रता से वंचित करना ।
- २) जो au pair कर्मचारी हो, समयानुकूल कर्मचारी, सीमा पार के सेवा के प्रावधान के उद्देश्य के लिए एक सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्यायोजित, जो सीमा पार सेवा के सेवा प्रदाता हो ।
- ३) शेनेगन वीजा के तहत निवास करना और प्रवेश करना **Article 26, Paragraph 1, Point 26 विदेशी से संबन्धित विनियम के अनुसार, अध्ययन लेने के लिए या निरंतर करने के लिए जारी किया गया वीजा या निर्धारित अवधिके निवास की परमिट Article 53 , Paragraph 1, Point 5 or 7 or Article 53a, Paragraph 1, Point 1 lit. a या Paragraph 2 of the Act on foreigners के आधार पर प्रदान किया गया,**
- ४) राजनयिक मिसन के सदस्य या प्रधान, बाणिज्यदुत के कार्यालय के निर्देशक और विदेशी राज्य के कांसुली कर्मियों के सदस्य और कानून के कृत्यों के आधार पर उन्हे बराबर करने वाले कोहि दुसरा व्यक्ति, सामान्यतः अन्तराष्ट्रीय कस्टम को अपनाया गया सम्भौता ।

जो दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट के पुरस्कार से निर्धारण ५ साल की निवास अवधि को विदेशी के निवास के आधा अवधि को समावेश करेगा :

- १) अध्ययन या व्यावसायिक प्रशिक्षण के आधार पर जारी किया गया वीजा पर या
- २) निर्धारित अवधि के निवास के परमिट के आधार पर प्रदान किया गया जो **Article 53 , Paragraph 1, Point 16 or Article 53a, Paragraph 1, Point 1 lit. b of the Act on foreigners के साथ सम्बन्धित है ।**

६.७ लगातार निवास का पुष्टी और निवास में ब्रेक आने का कारण

पालैड गणराज्य के राज्यक्षेत्र में निवास के अवधि को लगातार माना जाएगा अगर निवास के पुरा समय में ६ महिने से ज्यादा की ब्रेक नहोन पर और निचे उल्लेख किया गया बुदे के आधार पर कुल मिलाकर १० महिने को पार नकरने पर :

- पेशेवार ड्यूटी निभाने के लिए या पालैड गणराज्य के राज्यक्षेत्र में दर्ता हुआ कार्यालय के नियोक्ता के सम्भौता के आधार पर पालैड गणराज्य के राज्यक्षेत्र के वाहर नोकरी करने पर ।
- पेशेवार ड्यूटी निभाने वाले या Point 1 से सम्बन्धित नोकरी करने वाले के साथ रहने वाला पति या पत्नि
- विदेशी के स्वास्थ्य उपचार ।

६.८ दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट देने से इन्कार करना

विदेशीका दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट प्रदान करने से इन्कार होगा यदि :

- १) **Article 65, Paragraph 1** में उल्लेख किया गया आवश्यकताए को पुरा नकरना ।
- २) रक्षा या राज्य सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था या पालैड गणराज्य के हित का कारणका आवश्यकता है ।

६.९ दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट वापस लेना

विदेशी के दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट को रद्द किया जाएगा अगर

- ३) दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट कानूनको तोडकर प्रदान किया जाने पर ।
- ४) राज्य रक्षा या सुरक्षा या सार्वजनिक संरक्षण और व्यवस्था के संरक्षण के लिए वास्तविक और गम्भिर खतरा होने पर ।
- ५) ६ साल की अवधि से अधिक पालैड गणराज्य के राज्य क्षेत्रको छोडने पर ।
- ६) यूरोपियन संघ के राज्य क्षेत्रको १२ महिने के निरंतर अवधि तक छोडने पर ।
- ७) अन्य यूरोपियन संघ के सदस्य राष्ट्रसे दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट प्राप्त करने पर ।

६.१० दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट को दुवारा प्राप्त करना

Article 69, Paragraph 1, Point 3-5 of the act of foreigners से सम्बन्धित कारणो से दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट को रद्द किया जाने पर विदेशीको **Article 65** में वयान किया गया शर्तो को पुरा करने पर दुसरा दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट प्रदान किया जाएगा । दुसरे परमिट के आवेदन पेश करने के प्रावधान के लिए पहले वह कानूनी रूप से और विना ब्रेक के पालैड गणराज्य के राज्यक्षेत्र में कम से कम ३ साल तक निवास करना जरूरी है ।

६.११ दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट प्रदान करने की अवधि

दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट **बगैर निश्चित** अवधि के प्रदान किया जाएगा ।

५ साल के लिए प्रदान किया गया कार्ता पोवितु वह दशतावेज हे जो दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट प्रदान किया जानेका पुष्टि करता है ।

दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास की परमिट प्रदान किया गया दिन से कानूनी तौर पर विदेशी के सेटलमेंट परमिट के अवधि समाप्त होने पर ।

अध्याय ७

विदेशी निवास कार्ड (कार्ता पोबितु)

७.१ मुख्य सूचना

विदेशी के लिए जिसे मिला हो :

- निर्धारित अवधिके निवास की परमिट
- सेटलमेंट परमिट
- दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट
—विदेशी निवास कार्ड पर मुद्दे

वैध विदेशी निवास कार्ड विदेशियों को पोल्यान्ड और मिलति क्षेत्र में रहने तक पहचानकी पुष्टि करता है। और अगर यात्रा दस्तावेजके साथ विना भिजा के पोल्यान्ड में कई प्रविष्टियाँ कर सकते हैं।

दो महिने से अधिक निवास का दर्ता नहोने पर विदेशी निवास कार्ड पर निवास का पता और ठेगाना नहि लिखा जाएगा।

अगर निर्धारित अवधि के निवास परमिट प्रदान करने के निर्णय लागू करते समय विदेशी कीसी विदेशी राष्ट्रमें निवास कर रहा हो तो उसे **निर्धारित अवधि के निवास परमिट के रूप में सेनेगन वीजा** के लिए आवेदन पेश करना होगा।

विदेशी निवास कार्ड पालैंड गणराज्य के राज्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद क्षेत्रिय कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा जिसने निर्धारित अवधि के निवास परमिट प्रदान किया है। विदेशियों को इस विदेशी निवास कार्ड को **खुद बुझलेना चाहिए** और अगर १३ साल से कम बच्चो के मामले में सम्बन्धित प्रतिनिधि या फीर संरक्षक ही बुझ सकते हैं।

विदेशी निवास कार्ड के मुद्दे के लिए ५० ज्लोटी है। यह शूलक की रकम विदेशी सम्बन्धित क्षेत्रिय कार्यालय के खाते पर भेजना होगा।

७.२ विदेशी निवास कार्ड बदलना

विदेशियों को निम्न कारणों से विदेशी निवास कार्ड नई बदलना चाहिए

१. कार्डमें उल्लेख किया गया जानकारी गलत होने से
२. आकार में परिवर्तन के कारण पहचान को पुष्टि करने में मुश्किल होना
३. कार्डके टुट फुट जाने से प्रयोग में कठिनाई
४. हानी या विनाश होने से
५. विदेशी निवास कार्ड की वैध मिति के समाप्ति के बाद और सेटलमेंट परमिट या दिर्घकालिक यूरोपियन समुदाय नागरिक निवास प्राप्त के जानकारी पाने के बाद

७.३ विदेशी निवास कार्ड बदलने के लिए मजिस्ट्रेट

कार्डमें परिवर्तन विदेशिके निवास स्थान के स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालयके अधिकारी से किया जाएगा ।

विदेशी निवास कार्ड के मुद्दे और फी में परिवर्तन के बाद

कार्ड परिवर्तन करने के लिए एक उपयुक्त फारम से किया जाएगा । विदेशियों को वैध यात्रा दस्तावेज दीखाना होगा और निवेदनके साथ संलग्न करना होगा

१. निवेदक के फोटोग्राफ
२. निवेदक की जानकारी की पुष्टि के लिए सम्बन्धित दस्तावेज और निवेदन में उल्लेखित परिस्थितियों की पुष्टि करने के लिए दस्तावेज ।

अगर विदेशी जो इस कार्डको प्राप्त करने लिए उसे किसी भी तरह से यात्रा दस्तावेज मिलनेका संभव नहीं बनता है तो विदेशी की पहचानकी पुष्टि करने वाला अन्य आधिकारिक दस्तावेजको पेश किया जा सकता है ।

७.४ विदेशी निवास कार्ड खो देना

विदेशी जो अपनी इस विदेशी निवास कार्ड को खो देता है उसे खोया हुआ तिन दिन के भितर इस कार्ड को इसु करने वाला क्षेत्रीय कार्यालय में सम्पर्क और जानकारी देना होगा । अगर नई कार्ड बन गया है तो खोया हुआ कार्ड मिल जातो के तीन दिन के भितर क्षेत्रीय कार्यालय में जानकारी देना होगा और तुरन्त पाया हुआ कार्डको वापस बुझाना होगा।

विदेशिको तुरन्त इस विदेशी निवास कार्ड को मजिस्ट्रेट के पास वापस बुझाना होगा अगर उनको पोलिश नागरिकता देनेका पत्र डिलिवरी किया गया है या फीर निर्धारित अवधिके लिए, सेटलमेंट परमिट के लिए या दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट के लिए इस कार्डको वापस लेनेका निर्णय करने पर ।

७.५ विदेशी निवास कार्ड से यात्रा

विदेशियों की निवास कार्ड और वैध यात्रा दस्तावेज के साथ शेनगेन क्षेत्र के आंतरिक व्यापक पार की सामान्य शर्तों के अनुसार ६ महिने की अवधि के दौरान ३ महिने से अनधिक अवधि के लिए शेनगेन क्षेत्र में वीजा के बिना यात्रा और निवास कर सकते है ।

- विदेशियों के पास वैध यात्रा दस्तावेज होना चाहिए
- वह रहने के योजनाके वारेमें औचित्य साबित कर सकते है
- रहने के लिए प्रयाप्त अधिकारी और कानुनी तौर पर क्षमता दिखाना होगा
- वह सार्वजनिक व्यवस्थाके लिए खतरा, आन्तरिक सुरक्षा, पब्लिक स्वास्थ्य और अन्तराष्ट्रीय किसी भी सदस्य राज्यों के साथ सम्बन्ध के लिए खतरा न होने पर
- किसी भी सदस्य राष्ट्रो से प्रवेश में इनकार की कोई भी डाटा राष्ट्रिय डेटावेस में संलग्न नहोने पर

सेनेगन देशों के लिए : अष्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, ग्रीस, स्पैन, लक्जमबर्ग, नेदरल्याण्ड, जर्मनी, स्वीडेन, इटाली, ईस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटभिया, माल्टा, पोल्याण्ड, द चेख रिपब्लिक, स्लोभाकीया, स्लोभानिया, हंगेरी और नर्वे, आइसल्याण्ड और स्वीजरल्याण्ड भी है ।

ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, साइप्रस, बुल्गारिया और रूमानिया पर जोर दिया जाना चाहिए कि यूरोपिय संघ में है शेनेगन क्षेत्र में नहीं है ।

अध्याय ८

पुनः अपील प्रकृया

अगर क्षेत्रिय कार्यालय द्वारा जारी किया गया निर्धारित अवधिके लिए निवास परमिट, सेटलमेंट परमिट और दिर्घकालिन यूरोपियन समुदायके नागरिक की निवास परमिट, वीजा विस्तार, विदेशी निवास कार्ड बदलने के निर्णय से असंतुष्ट है तो निर्णय प्राप्त किया गया तारीख के १४ दिन भितर उच्चतम रैंक के मजिस्ट्रेट को अपील करने का हक बनता है।

क्षेत्रिय कार्यालय अन्तरगत क्षेत्रिय प्रशासनिक कोर्ट मे अपील की दस्तावेजको हस्ताक्षर के साथ पेश करना होगा।

पुनः : अपीलके लिए सामान्य मुद्दे का इस्तेमाल किया जा सकता है। (अध्याय २ को देखे)

८.१ समय से विफलता

अपील की पेश करनेकी समय के विफलतासे विदेशी को इस समय को वापस लाने के लिए आवेदन कर सकते है। इस प्रकृयाके लिए **विफल होने का समय से सात दिन के भितर** अप्पलाइ करना होगा। वह इस बातको साबित करना होगा की विफलता उनके कारणसे नहि हुआ है। निवेदन पत्र के साथ साथ मे **पुनः अपीलकी दरखास्त भी** पेश करना होगा।

८.२ केश फाइल के कृत्यों के साथ मिल रहि ज्ञान

अगर पार्टी और आधिकारीक एजेंट केश की फाइलको अध्ययन करना चाहे तो सचिवालय विभाजन के अपिल के वैधिकरणके विभाग में **टेलिफोन नम्बर (२२) ६० १७५ १४** में टेलिफोन द्वारा सम्पर्क कर सकते है। विदेशियों के लिए विदेशियों की कार्यालय का अपरेटीड पोइन्ट **स्ट्रीट तावोरोवा ३३, वार्सा** मे आनेका यथार्थ तारीख और समय बताना होगा।

केश के वारेमे पुछताछ वर्कीड डे पर प्रदान की जाती है , बुधवार के अलावा १० :०० से १५ :०० बजे तक।

८.३ आवेदन, दस्तावेज, स्पष्टीकरण, घोषणाओं को पेश करने की शैली

पेश किया गया दस्तावेज इस तरह होना चाहिए :

- सकल या कानूनी तौर पर प्रमाणित सत्य कापी की सकल कापी को विदेशियो के लिए कार्यालय स्ट्रीट कोशिकोवा १६, ००-५६४ वार्सा मे पेश किया जाना चाहिए।
८१५ से १६०० बजे तक
- पोलिश कानूनी मान्यता अनुवादक द्वारा पोलिश मे अनुवादित होना चाहिए।

दस्तावेजों (आवेदन, स्पष्टीकरण, घोषणाओं) को पेश किया जा सकता है :

- मेल द्वारा : कोशिकोवा १६, ००-५६४ वासा
- सिधे विदेशियों के लिए कार्यालय स्ट्रीट कोशिकोवा १६, ००-५६४ वार्सा में पेश किया जाना चाहिए ।
८:१५ से १६:०० बजे तक

८.४ शिकायत

अगर विदेशी विदेशियों के लिए कार्यालय के हेड द्वारा किया गया फैसले से असन्तुष्ट है तो प्राप्त निर्णय के दिन से ३० दिन के भीतर क्षत्रिय प्रशासनिक कार्यालय के कोर्ट में सीधे अपील कर सकते हैं । पार्टी विदेशियों के कार्यालय प्रमुख के माध्यम से पेश किया जाएगा ।

क्षत्रिय प्रशासनिक कार्यालय के कोर्ट वार्सा में अपील करने से अन्तिम निर्णय आने तक यह नहीं तय किया जाता है की पार्टी कानूनी रूप में लिगाल पोलिश क्षेत्र में रह सकते हैं ।

वचन या प्रतिवद्धता

अनुदेश मैने इस भाषा में प्राप्त कीया
है.....

.....

(स्थान, तारिख)

.....

आवेदक या कानुनी प्रतिनिधिका हस्ताक्षर

.....

संभवत : अनुवादक के हस्ताक्षर